बैंकों में ऋण प्रबंधन के दो दशक : अतीत और भविष्य*

के. सी. चक्रवर्ती

श्री के. आर. कामत, अध्यक्ष, आईबीए और अध्यक्ष, पंजाब नैशनल बैंक, श्रीमती वी आर अय्यर, अध्यक्ष, बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों के प्रबंध निदेशक, बैंकॉन 2013 के प्रतिनिधि, समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों, बैंकिंग परिवार के मेरे अन्य सहयोगी, देवियो और सज्जनो! सबसे पहले मैं भारतीय बैंक एशोसिएशन और बैंक ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बैंकॉन के इस मंच से अपने विचार रखने के लिए यह अवसर दिया। बैंकरों के कलेण्डर में यह सर्वाधिक प्रतिक्षित घटना है क्योंकि यहाँ उन सामयिक मुद्दों पर एक खुली और स्पष्ट चर्चा करने का अवसर मिलता है, जिनका बैंकिंग समुदाय सामना कर रहा है और उनके लिए भविष्य में क्या होने वाला है। इस अर्थ में, इस वर्ष के बैंकॉन के लिए चुनी गई विषयवस्तु ''भविष्य के बैंक, उभरते परिवेश का सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं'' इस अवसर के आयोजन के प्रयोजन को उपयुक्त रूप से बताती है। मैंने देखा कि बैंकिंग और वित्त के विशिष्ट व्यक्तियों ने इस विषय पर वक्तव्य दिए और बैंकों के भविष्य के बारे में तथा उभरती चुनौतियों से निपटने के बारे में आप सभी की स्पष्ट दृष्टि है।

आप सभी जो मुझे नजदीकी से जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि मैं प्रायः किसी वस्तु का दूसरा पक्ष ही देखता हूँ। वर्तमान अवसर पर बैंक पर्यवेक्षक के रूप में मैं ''भविष्य के बैंकों'' की तुलना में 'बैंकों के भविष्य' के बारे में ज्यादा चिंतित हूँ। यह तर्क की बात हो सकती है कि बैंकों का ऋण प्रशासन और उसकी आस्ति गुणवत्ता बैंकों के भविष्य को प्रभावित करने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण कारक हो सकता है और आज के अपने संबोधन में मैंने इन क्षेत्रों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है।

आज के मेरे संबोधन का उद्देश्य गलती निकालना नहीं है बल्कि आत्मनिरीक्षण और आत्म-समीक्षा को बढ़ावा देना है जिससे हम पता कर सकें कि अतीत में हमसे कहाँ गलती हुई है और पिछली कुछ गलतियों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है तथा आगे-बढ़ने के लिए कौन से उपाय करने की जरूरत है। इसके अंत में, मैं बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और ऋण प्रबंधन के पुराने रुझानों से शुरुआत करना चाहूँगा तथा इसके पश्चात 'सबकों' का उपयोग करना चाहूंगा ताकि समस्याओं से निपटने के लिए एक व्यापक समाधान निकाला जा सके।

परिचय

1. भारत जैसी बैंक प्रधान अर्थव्यवस्था में, बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता का समग्र वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण निहितार्थ हैं। बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में सामान्य धारणा बहुत अधिक बही खातों में दर्ज अनर्जक आस्तियों के स्तर द्वारा निर्धारित होती है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बैंकों की अनर्जक आस्तियों में जो तेजी आई है, उसने बहुत अधिक ध्यान खींचा है।

2. बैंकिंग का कारोबार अनिवार्य रूप से मध्यस्थता करने संबंधी है - जो जमाओं को स्वीकार करता है और इन जमाराशियों को उधार देने संबंधी कार्यों के साथ संबद्ध करता है - तथा ऋण जोखिम इस मध्यस्थता प्रक्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आस्तियों की चूकों और हानियों की कुछ राशि के दिखने की संभावना लगती है और इसलिए ऋण जोखिम प्रबंधन की भूमिका यह सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसी हानियां न्यूनतम हों।

3. यह कहना व्यर्थ है कि जब बैंकिंग सामान्य बात है तो ऋण जोखिम प्रबंधन भी सामान्य बात है। उधारों के निर्णय पूर्व निर्मित धारणा के आधार पर लिए गए क्योंकि बैंक अपने उधारकर्ताओं और उनके कारोबार को बहुत नजदीकी से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने ऋण निर्मात्री ढाँचे का समर्थन करने के लिए जानकारी/डेटा को संग्रहीत करने और उसकी व्यापक जांच करने की आवश्यकता को महत्त्व नहीं दिया। कालांतर में, जैसे-जैसे बैंकिंग गतिविधियों में विविधीकरण हुआ और वे अधिक जटिल हो गईं तथा उत्पाद अत्याधुनिक हुए, जोखिम भी बढ़ते गये किंतु ये जोखिम बहुत जटिल थे। यद्यपि मध्यस्थता से जोखिम और अधिक प्रेषणकारी तथा संक्रामक हो गए लेकिन ऋण जोखिम प्रबंधन विकास इनके साथ चलने में असफल रहा। उन्नतशील ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए आवश्यक था कि उन जोखिमों का बारीकी से विश्लेषण किया जाए जिनके प्रति बैंकों का एक्सपोजर था; लेकिन वे इस आवश्यकता को समझने में असफल रहे और

* मुंबई में 16 नवंबर 2013 को बैंकॉन के अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी चक्रवर्ती द्वारा दिया गया भाषण। सुश्री डिंपल भांडिया और सुश्री विनीता द्वारा दी गई सहायता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं।

प्राचीन प्रबंधन सूचना प्रणाली पर निर्भर रहे। मेरी समझ से, ऋण जोखिम के विभिन्न तत्वों के डेटा/जानकारी को एकत्र करने में और उनकी बारीकी से जांच करने में बैंकों की सफलता एक प्रमुख कारण रही, इसी कारण बैंक आसन्न समस्याओं को भांप नहीं सके। यह एक ऐसा मामला है जो मेरे आज के मेरे पूरे संबोधन में छाया रहेगा।

4. इस पृष्ठभूमि में, मै विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि भारतीय बैंकों ने कैसे पिछले दो दशक के दौरान ऋण जोखिम, भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति और उन सभी कारकों, जिन्होंने वर्तमान स्थिति में अपना योगदान किया है, का सामना किया है। यह विश्लेषण बैंकों से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समेकित किए गए डेटा/सूचना के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। मैं बैंकों और उनके डेटा प्रबंधन दल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें बड़े स्तर पर आंकड़े उपलब्ध कराए और आज आपके समक्ष प्रस्तुत विश्लेषण को सुगम बनाने के लिए हमारे दल के साथ मिलकर काम किया।

5. ऋण जोखिम प्रबंधन विनियामी ढ़ांचे से संबद्ध है और मैं यह शोध करने की कोशिश करूँगा कि कैसे विनियमन ने विभिन्न स्तरों पर वर्तमान स्थिति में अपना योगदान दिया है, कैसे बाजार की शक्तियों ने विनियमन को पंगु कर रखा है और समस्या को बढ़ाया है। मैं अप्रिय तथ्यों को देकर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, लघु और अति लघु उद्यमों को उधार देने संबंधी कुछ सामान्य मिथक दूर करने की कोशिश करूँगा। अंत में, मैं विनियामकों, नीति निर्माताओं, बैंकों और बैंक ग्राहकों के लिए भावी दिशा की सूची दूंगा।

भारत में अनर्जक आस्तियों के विनिमयन का विकास

6. एनपीए के रुझानों को, यदि सावधानीपूर्वक देखा जाए, तो बदलते विनियामी परिदृश्य को भलीभांति देखा जा सकता है। अब हम भारत में एनपीए के विनियमन के विकास पर संक्षेप में बात करेंगे।

7. अस्सी के दशक के मध्य तक, भारत में एनपीए का प्रबंधन बैंकों और लेखा-परीक्षकों के ऊपर छोड़ दिया गया था। 1985 में चूँकि बैंकिंग के बदलते जोखिम स्वरूप को सुकर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए आस्तियों के वर्गीकरण की पहली बार पद्धति शुरू की गई। इस पद्धति को ''आर्थिक स्थिति कोड'' पद्धति कहा गया, इसमें अग्रिमों का वर्गीकरण आठ वर्गों में किया गया जो एक (संतोषजनक) से लगाकर आठ (अशोध्य और असंदिग्ध ऋण) तक है। विनियामी निर्देशों की इस विकास प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन अप्रैल 1992 में आया। ऐसा आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड़ों तथा प्रावधानन अपेक्षाओं की गणना के लिए गणितीय पद्धति की शुरुआत के कारण हुआ। अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए एक श्रेणी वाला मानदंड बनाया गया, जिसकी शुरुआत अनर्जक आस्तियों के रूप में अग्रिमों के वर्गीकरण के लिए एक चार तिमाही मानदंड से की गई। 2001 में एनपीए के वर्गीकरण के लिए 90 दिवसीय मानदंड की शुरुआत से, एनपीए दिशानिर्देश अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में लाए गए।

8. यद्यपि एनपीए वर्गीकरण मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने के लिए धीरे-धीरे कड़ा किया जा रहा है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1990 के दशक के प्रारंभ के दौरान ''अग्रिमों की पुन पुनर्संरचना'' पर भी दिशा-निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में अपेक्षा की गई कि यदि ब्याज तथा मूलधन से संबंधित ऋण करार की शर्तें पुनः तय की गई हैं या उत्पादन के पश्चात पुनर्निर्धारित की गई हैं, तो मानक आस्तियों को उप मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाए। 2001 में, निर्देशों को पुनः मजबूत किया गया जिससे उत्पादन की शुरुआत के पहले पुनर्संरचित खातों के आस्ति वर्गीकरण की क्रिया को स्पष्ट किया जा सके।

9. पूर्व में शुरू किए गए ''विवेकपूर्ण मानदंडों'' के रूप में अग्रिमों के वर्गीकरण ने पहली बार भारतीय बैंकिंग-प्रणाली में अनर्जक आस्तियों के सही मूल्यांकन की सीमा को तय करना संभव बनाया। प्रणाली में एनपीए के प्रारंभिक आंकड़े काफी अधिक थे और इसलिए इनको स्वीकार्य स्तर तक लाने के लिए नियामकों और बैंकों दोनों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने पड़े। कालांतर में, जैसे ही बैंकों ने ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया में सुधारों की शुरुआत की, हेडलाइन एनपीए अनुपात में काफी अधिक गिरावट आई (सारणी 1)। इस प्रकार अनुभववादी परिणामों से चलता है विनियमों में कड़ाई से एनपीए को घटाने में मदद मिली।

10. 2000 के दशक के प्रारंभ में, विनियामी सुधारों की शुरुआत/कड़ाई में धीमापन आया। संकट के पूर्व के ''अच्छे'' वर्षों के दौरान विनियामी मानदंड़ों को और अधिक कड़ा किया गया जिसकी परिणति ऋण मानकों के घटने और आर्थिक

सारणी 1: अनर्जक आस्तियों की प्रवृत्तियां

अवधि	औसत जीएनपीए (प्रतिशत में)	औसत एनएनपीए (प्रतिशत में)
1997-2001	12.8	8.4
2001-2005	8.5	4.2
2005-2009	3.1	1.2
2009-2013	2.6	1.2
मार्च 2013	3.4	1.7
सितं. 2013	4.2	2.2

अपचारों के बढ़ने के रूप में हुई। इसके विपरीत, संकट के पश्चात कुछ मामलों में मानदंडों को शिथिल किया गया। विनियमों में विपर्यय के भी कुछ उदाहरण सामने आए अर्थात फ्लोटिंग प्रावधानों के प्रयोग से संबंधित मानदंडों में परिवर्तन, प्रावधान कवरेज अनुपात के मानदंड़ों में शिथिलीकरण, गत्यात्मक प्रावधानन कवरेज की शुरुआत में विलंब। इसके अलावा, 2008 की विशेष व्यवस्था ने पुनर्संरचित खातों को मानक के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी जिससे आस्तियों, अव्यवहार्य आस्तियों को मानक वर्ग में वर्गीकृत करने के लिए पुनर्संरचना का सहारा लेने में बैंकों / उधारकर्ताओं को कम प्रोत्साहन मिले तथा उन्होंने एनपीए का कम स्तर सूचित किया।

11. सामान्य तौर पर एक परंपरा यह है कि जबभी एनपीए का स्तर बढ़े एनपीए विनियमों में शिथिलता के बारे में कहा जाए। लेकिन, अनुभववादी प्रमाण बतलाते हैं कि ऐसे शिथिलीकरण के परिणाम उल्टे होते हैं। पिछले अनुभव बताते हैं कि विनियम में कड़ाई से बैंकों द्वारा ऋण मूल्यांकन और निगरानी मानकों में किसी शिथिलता से बचाव होता है और इससे उन पर अपने आस्ति पोर्टफोलियो में होने वाले अपचारों पर निरंतर सतर्कता रखने का दबाव बनता है। मैं कहना चाहूंगा कि इसके विपरीत बैंकों को कड़े विवेकपूर्ण मानदंड़ों का स्वागत करना चाहिए क्योंकि उनका उद्देश्य भविष्य का बैंक बनना है।

आस्ति गुणवत्ता की प्रवृत्तियां

(i) एनपीए अनुपात की प्रवृत्तियां

अब हम बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता की प्रवृत्तियों की बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि विवेकपूर्ण मानदण्डों की शुरुआत से 1990 के दशक के प्रारंभ के दौरान बैंकों के एनपीए स्तर में काफी अधिक वृद्धि हुई। मार्च 1994 को समग्र अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में समग्र एनीपीए 19.1 प्रतिशत था। इसके पश्चात, यह अनुपात उस अवधि के दौरान धीरे-धीरे घटा जब संरचनात्मक सुधारों को लागू किया गया और ''बहुत अच्छे कार्यनिष्पादन'' वाले वर्षों से लगाकर वैश्विक वित्तीय संकट तक भी। सकल और निवल एनपीए अनुपात की ऐतिहासिक प्रवृत्तियां अनुबंध 1 में दी गई हैं। एनपीए स्तर में गिरावट के लिए कई कारकों को जिम्मेदार माना जा सकता है:

- 1990 दशक के दौरान आस्ति गुणवत्ता के लिए विवेकपूर्ण मानदड़ और अन्य विनियामी उपायों की शुरुआत ने बैंकों में बेहतर जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जिससे आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया।
- चूँकि ब्याज दरें गिर रही थीं, बैंकों को काफी अधिक कोषागार लाभ हुए जिनका उपयोग एनपीए खातों को बट्टे खाते डालने में किया गया;
- अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से अच्छा कार्य निष्पादन और ऋण वृद्धि में समान रूप से वृद्धि;
- चलनिधि दशाओं की काफी अधिक अच्छी स्थिति;
- व्यापक पुनर्संरचना आदि।

12. 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत के पश्चात, एनपीए अनुपात में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता में काफी अधिक गिरावट दिख रही है। आस्ति गुणवत्ता की गहराई से छानबीन करने पर विभिन्न बैंक समूहों के कार्यनिष्पादन के बीच काफी अधिक भिन्नता का पता लगता है।

13. शुरू-शुरू में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य बैंक समूहों के एनीपए स्तर में भिन्नताएं दिखीं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 1994 में 21 प्रतिशत था; निजी क्षेत्र के नए बैंकों तथा विदेशी बैंकों के लिए यह 1 से 2 प्रतिशत बीच रहा। 2003 तक, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सकल एनपीए अनुपात में धीरे-धीरे गिरावट आई, अन्य बैंक समूहों के लिए इसमें वृद्धि हुई। 2003-06 के दौरान, सभी बैंक समूहों के एनपीए अनुपात में गिरावट की एक समान प्रवृत्ति रही। संकट के प्रारंभ में (2007-09 के दौरान) एनपीए अनुपात की दिशा अलग-अलग हो गई - निजी क्षेत्र के नए बैंकों तथा विदेशी बैंकों के सकल एनपीए अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में गिरावट जारी देखी गई। वास्तव में, 2009 के दौरान विदेशी बैंकों के एनपीए में सर्वाधिक वृद्धि दिखी। इस प्रवृत्ति में 2009 के बाद विपरीत

स्थिति रही, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए अनुपात में काफी अधिक वृद्धि हुई वहीं अन्य बैंक समूहों के लिए इसमें गिरावट आई।

14. इस भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विभिन्न बैंकों में आस्ति गुणवत्ता का प्रबंधन करने की क्षमता अलग-अलग है और विशेष रूप से संकट के बाद के वर्षों में, आस्ति गुणवत्ता, की चिंताएं व्यापक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के X बैंकों तक सीमित हैं।

15. बैंक समूहों के बीच एनपीए के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास काफी अधिक बोझ बढ़ रहा है (अर्थात, अग्रिमों के हिस्से की तुलना में सकल एनपीए का हिस्सा)। सकल एनपीए में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा पिछले दशक से विशेष रूप से 2009 से बढ़ा है (सारणी 2)। 2013 में बैंकिंग प्रणाली के एनपीए का 85 प्रतिशत था जबकि 2003 में यह 75 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, कुल बैंक ऋण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 74 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया। यह बैंकिंग प्रणाली के अन्य खड़ों के कार्य-निष्पादन से ठीक उल्टा है, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नए बैंकों के मामले में, जिनका एनीपए का हिस्सा 2003 के 14 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत रह गया है।

(ii) हेडलाइन एनपीए संख्याओं से परे

16. हेडलाइन एनपीए संख्याओं पर आधारित किसी विश्लेषण अर्थात सकल और निवल एनपीए अनुपात, की सीमाएं हैं। इन अनुपातों से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की समस्या के वास्तविक विस्तार का पता नहीं चल पाता। आस्ति गुणवत्ता की प्रवृत्तियों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि एनपीए प्रबंधन अर्थात चूकों, बट्टा खाते डालने, वसूली, उन्नयन, पुनर्संरचना आदि के विभिन्न पहलुओं के बारे में - गतिविधि तथा खण्डवार और अधिक छोटे-छोटे आंकड़ों को लिया जा सके और उनका विश्लेषण किया जा सके।

सारणी 2: बैंक समूहों के बीच जीएनपीए का हिस्सा

(प्रतिशत)

बैंक समूह	मार्च 03	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 13	सितं 13
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	75.4	76.6	71.1	64.5	84.8	86.1
	(74.0)	(72.8)	(72.5)	(75.2)	(76.2)	(75.3)
पुराने निजी बैंक	6.2	5.9	4.6	4.5	2.8	2.8
	(6.2)	(4.7)	(4.5)	(4.3)	(4.6)	(5.0)
नए निजी बैंक	14.2	12.5	18.7	20.3	8.0	6.8
	(12.8)	(16.2)	(16.4)	(15.0)	(14.8)	(14.7)
विदेशी बैंक	4.2	4.9	5.6	10.7	4.3	4.3
	(6.9)	(6.4)	(6.5)	(5.6)	(4.5)	(5.0)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल बैंक ऋण का हिस्सा हैं।

17. 1990 के दशक तक, बैंकों ने आस्ति गुणवत्ता के बारे में केवल मूल आंकड़ों को लिया था अर्थात समग्र और निवल एनपीए अनुपात। यह केवल विनियामक का निर्देश था जिसके कारण बैंकों ने 2001 से एनपीए के प्रवाह संबंधी आंकड़ों (नई जमाराशियां और वसूली) को एकत्र करना और रिपोर्ट करना शुरू किया। इसके अलावा, हालही में अर्थात 2009 से खंडित एनपीए, बट्टे खाते डालने, वसूलियों आदि जैसे आस्ति गुणवत्ता के और अधिक छोटे-छोटे आंकड़े संकलित करने शुरू किए गए हैं। दुर्भाग्यवश, बैंकों में यह कार्य नियामक को सूचित किए जाने के प्रयोजन से इस डेटा को संकलित करने तक सीमित था। आंतरिक ऋण प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आंतरिक तौर पर इन आंकड़ों का विश्लेषण करने और उनका प्रयोग करने के कुछ प्रयास किए गए।

18. अगले कुछ मिनटों में, मैं इन छोटे-छोटे आंकड़ों पर आधारित बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की प्रवृत्तियों और ऋण प्रबंधन पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करूँगा। तब मैं बैंकों में ऋण प्रबंधन की गुणवत्ता के बारे में इस विश्लेषण से कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करूँगा कि और कैसे इसने आस्ति गुणवत्ता की हाल की प्रवृत्तियों में योगदान दिया है।

(iii) चूकों और वसूली की प्रवृत्तियां

19. पिछले दशक का एनपीए का प्रवाह दर्शाता है कि जहाँ 2001 और 2013 के बीच एनपीए में कमी ₹ 4.9 ट्रिलियन थी, वहीं एनपीए में वृद्धि ₹ 63 ट्रिलियन थी। यदि पूरी अवधि को दो हिस्सों - 2001-2007 और 2008-2013 के बीच बॉटा जाए तो कुछ मजेदार भिन्नताएं सामने आएंगी। जबकि पहली अवधि के दौरान, एनपीए में वृद्धि और एनपीए में कमी व्यापक तौर पर समान (₹ 1.7 ट्रिलियन की कमी की तुलना में ₹1.6 ट्रिलियन की वृद्धि) रही, बाद की अवधि के दौरान स्थिति में नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ क्योंकि एनपीए में वृद्धि, एनपीए में कमी से काफी अधिक थी (₹ 3.2 ट्रिलियन की कमी की तुलना में 4.7 ट्रिलियन की वृद्धि) (सारणी 3)।

सारणी 3: स्लीपेज और वसूली की प्रवृत्तियां

(₹ बिलियन)

	2001-2013	2001-2007	2008-2013
अवधि की शुरुआत में एनपीए	604	604	505
अवधि के दौरान एनपीए में नई वृद्धि	6248	1591	4657
अवधि के दौरान एनपीए में कमी	4920	1690	3230
उन्नयन के कारण	1109	240	869
बट्टाखाता डालने के कारण	2036	739	1297
वास्तविक वसूली के कारण	1775	711	1064
अवधि के अंत में एनपीए	1932	505	1932

20. चूक अर्थात वर्ष के दौरान एनपीए में हुई नई वृद्धि ने बैंकों में ऋण प्रबंधन प्रणाली के मूल्यांकन के लिए एक बेहतर पैमाना उपलब्ध कराया। जबकि 2000 के दशक के दौरान चूकों में कमी आई उनमें 2006-07 से काफी अधिक वृद्धि होनी शुरू हो गई। चूकों की वृद्धि दर जो 2005-06 तक ऋणात्मक हो गई तथा यह 2011-12 में 51.6 प्रतिशत की ऊँचाई तक पहुँच गई। निवल चूक (वर्ष के दौरान वसूली की निवल चूक) में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई। इस जन धारणा के विपरीत कि बढ़ता एनपीए वैश्विक वित्तीय संकट का परिणाम है, आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकों में ऋण प्रशासन कमजोर होना शुरू हो गया है और आस्ति गुणवत्ता संकट शुरू होने के पहले ही गिरनी शुरू हो गई थी। इसके अलावा, चूकों की संख्या एनपीए से अधिक हो गई विशेष रूप से संकट के पश्चात, क्योंकि चूकों की तुलना में एनपीए के कमी के अनुपात में नाटकीय तौर पर गिरावट आई जो 2001-07 के लगभग 105.3 प्रतिशत से 2007-13 में 70.8 प्रतिशत रही। 2001 से वर्षवार चूकों और गिरावट के आंकड़े अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

21. चूकों के बढ़ने के साथ-साथ बैंकों के वसूली के प्रयासों को झटका लगा जिससे आस्ति गुणवत्ता की चिंताएं बढ़ गईं जो 2006-07 से वसूली और उन्नयन की तुलना में चूकों के अनुपात की बढ़ती प्रवृत्ति और बैंकों के एनपीए की कुल कमी में बट्टे खाते डालने से संबंधित बड़े हिस्सों में दिखाई दीं। वसूली और उन्नयन की तुलना में चूकों का अनुपात उस सीमा तक प्रतिनिधित्व करता है जहाँ तक बैंक वसूली प्रयासों के माध्यम से अपने एनपीए को कम कर सके हैं। कुल मिलाकर बैंकिंग क्षेत्र का अनुपात 2005-06 के 125.4 प्रतिशत के निम्न से गिरकर 2009-10 में 264.1 प्रतिशत हो गया और यह 2012-13 में 257 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बना रहा। वसूली कार्य-निष्पादन में भी विभिन्न बैंकों के बीच व्यापक भिन्नताएं रहीं। यह अनुबंध 3 में दिए गए विभिन्न बैंकों के भिन्न-भिन्न चूक और निवल चूक अनुपात में दिखा।

(iv) वसूली और बट्टे खाते डालने की प्रवृत्तियां

22. एनपीए को कम करने के लिए बैंकों द्वारा बट्टे खाते डालने के बहुत से उदाहरण हैं, जो ऋण प्रबंधन की कमजोरी का संकेतक हैं। शुरू-शुरू में बट्टे खाते डालने को बैंकों के लिए एक साधन के रूप में प्रारंभ किया गया था ताकि वे हानिग्रस्त आस्तियों पर अपनी कर देयताओं का प्रबंधन कर सकें। लेकिन, बाद में वे अपनी रिपोर्ट की गई सकल एनपीए संख्याओं का प्रबंधन करने हेतु बैंकों के लिए एक साधन के रूप में उभरे। वास्तव में, एनपीए ने, वास्तविक वसूली और उन्नयन करने की तुलना में, सकल एनपीए की मात्रा को घटाने में काफी अधिक योगदान दिया। (कुछ वर्षों में, बट्टे खाते डालने का हिस्सा गिरावट का लगभग 50 प्रतिशत हो गया)। अंतिम कमी (केवल बट्टा खाता डालने और वास्तविक वसूली के कारण कमी) के प्रतिशत के रूप में बट्टा खाता डालना लगातार लगभग 50 प्रतिशत के अंक के ऊपर रहा है (अनुबंध 4)।

23. ये प्रथाएं साफ तौर पर नैतिक खतरे उत्पन्न करती हैं क्योंकि वे वसूली प्रयासों में सुधार संबंधी बैंकों के उत्साह को घटाती हैं। इसका परिणाम वसूली प्रक्रिया में लीकेज के रूप में भी होता है। यह इस बात से प्रमाणित है कि औसतन बट्टा खाता डालने की कुल राशि (तकनीकी बट्टा खाता डालने सहित) 10 प्रतिशत से कम ही वसूल हो पाई है (सारणी 4)।

24. बैंकिंग प्रणाली के कमजोर वसूली प्रयासों के साक्ष्य, चूकों की तुलना में, उन्नयन अनुपात के रुझान हैं। 'अच्छे' समय में भी यह अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक कभी नहीं रहा - ये ऋण और वसूली प्रशासन के कमजोर मानकों तथा खातों को पुनरुज्जीवित करने के लिए बैंकों के प्रयासों में कतिपय अरुचि के लक्षण हैं। अच्छे ऋण प्रबंधन की भावना वास्तविक समस्याग्रस्त खातों को पुनरुज्जीवित करना है न कि उन्हें परिणामी तौर पर बट्टे खाते डालने के लिए एनपीए के रूप में बनाए रखना।

सारणी 4: बट्टा खाते डालना

	राजकोषीय वर्ष की समाप्ति के दौरान बट्टा खाता डाले गए खातों से वसूली (₹ मिलियन)												
	मार्च-01	मार्च-02	मार्च-03	मार्च-04	मार्च-05	मार्च-06	मार्च-07	मार्च-08	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13
सभी बैंक	4,240	5,010	4,790	10,650	17,680	29,020	24,800	31,010	36,860	43,620	50,360	51,910	69,600
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4,180	4,940	4,630	10,080	16,120	26,990	22,200	28,240	33,720	38,190	44,120	46,560	59,530
पुराने निजी बैंक	20	30	50	260	450	840	1,320	1,730	2,170	2,070	2,310	2,010	2,000
नए निजी बैंक	30	20	40	300	1,110	1,090	1,200	870	920	1,970	3,270	2,940	7,790
विदेशी बैंक	0	10	60	0	0	100	80	160	40	1,390	660	400	290
राजकोषीय वर्ष की समाप्ति के दौरान एनपीए से बट्टा खाते में डाले जाने की स्थिति(₹ मिलियन)													
	मार्च-01	मार्च-02	मार्च-03	मार्च-04	मार्च-05	मार्च-06	मार्च-07	मार्च-08	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13
सभी बैंक	64,460	87,110	120,210	135,590	108,230	116,570	116,210	116,530	159,960	250,190	238,960	208,920	322,180
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	55,550	64,280	94,480	113,080	80,480	87,990	91,890	80,190	69,660	111,850	177,940	155,510	270,130
पुराने निजी बैंक	3,310	5,880	6,530	5,250	4,640	5,440	6,100	7,240	6,160	8,840	6,820	6,710	8,630
नए निजी बैंक	5,800	8,960	15,640	12,860	16,820	14,090	12,320	15,770	50,630	67,120	23,360	30,240	34,870
विदेशी बैंक	200	7,980	3,560	4,400	6,280	9,050	5,900	13,340	33,500	62,380	30,830	16,460	8,550

25. अभी मैंने जो चर्चा की है, समग्र वसूली सांख्यिकी में विभिन्न बैंक समूहों के बीच प्रवृत्तिगत काफी अधिक भिन्नताएं हैं। संकट के तुरंत पश्चात निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों का चूक अनुपात (सकल और निवल)[1] काफी अधिक था। लेकिन वे निर्गमन रणनीति के साथ-साथ ऋण जोखिम प्रबंधन पर पूरा ध्यान देकर चूकों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने में सक्षम हो सके। हाल के वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि निजी क्षेत्र के नए बैंक और विदेशी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अपनी आस्ति गुणवत्ता का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सके हैं क्योंकि वे शीघ्रता से एनपीए की पहचान कर सके हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शुरू-शुरू में कम एनपीए सूचित करने के लिए पिछली तिथि से पुनर्संरचना का सहारा लिया। यह प्रथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध हो गई और इस प्रकार, पृष्ठभूमि में, विनियामी दिशा-निर्देशों ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की गिरावट में योगदान दिया।

26. जब चूकों और नई पुनर्संरचना की जांच की गई तो बैंक समूहवार चूक की प्रवृत्तियों में और बढ़ोत्तरी हुई। संकट के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों का अग्रिमों की तुलना में चूकों और नयी पुनर्संरचना का अनुपात मार्च 2009 के 5.2 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2013 में 7.1 प्रतिशत हो गया। विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नए बैंकों का अनुपात घटा तथा मार्च 2013 में यह 1.0 प्रतिशत पर और अधिक मजबूत हुआ।

27. इस प्रकार यह साफ है कि संकट के पहले ऋण और वसूली प्रशासन की कमजोरियों को, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में, समयबद्ध तरीके से दूर नहीं किया गया। संकट ने इस समस्या को केवल और बढ़ाया।

28. उक्त प्रवृत्तियों से यह भी स्पष्ट है कि सकल एनपीए संख्या अपने आप में चिंता की कोई बात नहीं है। अग्रिमों पुनर्संरचना की प्रवृत्ति देखते हुए, भारत में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता के बारे में स्पष्ट और बढ़ती चिंताएं हैं। नीचे वर्णित मुद्दों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, अब मैं अग्रिमों की पुनर्संरचना की प्रवृत्तियों के विश्लेषण पर ध्यान देना चाहूँगा।

(v) पुनर्संरचना की प्रवृत्तियां

31. पुनर्संरचित खातों की तरफ हाल के समय में काफी अधिक ध्यान आकर्षित हुआ है क्योंकि संकट के पश्चात पुनर्संरचित खातों की संख्या बढ़ी है। ''निषिद्ध'' आस्तियों की मात्रा और बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में विभिन्न स्थानों से चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। यदि हम 2000 के दशक के प्रारंभिक भाग की तरफ देखें तो पुनर्संरचित खातों की वृद्धि दर में मिश्रित प्रवृत्ति रही है। 2003 से 2008 तक पुनर्संरचित अग्रिम अनुपात, एनपीए अनुपात की तुलना में काफी कम था। संकट की शुरुआत के पश्चात् रिज़र्व बैंक द्वारा उधारकर्ताओं को

[1] सकल चूक अनुपात = वर्ष के दौरान एनपीए से लगाकर, वर्ष के दौरान मानक अग्रिमों में नई वृद्धियाँ। निवल चूक अनुपात = चूक अनुपात जो वसूली का निवल है।

दिए गए आस्ति वर्गीकरण के संबंध में एक बारगी व्यवस्था के कारण 2008-09 में वृद्धि दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसके पश्चात, पुनर्संरचित खातों की वृद्धि दर सापेक्षिक रूप से उच्च बनी रही जिसमें मानक अग्रिमों की तुलना में पुनर्संरचित खातों के अनुपात में निरपेक्ष वृद्धि हुई और पुनर्संरचित अग्रिम अनुपात सकल एनपीए से अधिक बना रहा। 31 मार्च 2013 को बैंकिंग प्रणाली को सूचित किया गया सकल एनपीए 3.4 प्रतिशत था। लेकिन, अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए और पुनर्संरचित खातों का अनुपात 9.2 प्रतिशत पर काफी अधिक बना रहा।

32. वास्तव में, यह मानना पड़ेगा कि अस्थायी कठिनाइयों को पूरा करने के लिए निष्पादन करने वाली और अन्यथा रूप में अर्थक्षम इकाइयों के लिए कुछ धैर्य और सहारे की जरूरत होती है। ऐसे पर्याप्त प्रमाण, उपाख्यान और अन्य बातें हैं कि सूचित किए गए एनपीए के स्तर को कम रखने के लिए समस्याग्रस्त खातों को ''सदाबहारीकृत'' करने हेतु बैंकों द्वारा पुनर्संरचना का सहारा लिया गया है। इसके अलावा, अन्य बहुत से उदाहरण है :

- अव्यवहार्य इकाइयाँ पुनर्संरचना का सहारा ले रही हैं जिससे ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ सक्षम और व्यवहार्य इकाइयों को दर किनार कर दिया जाता है, विशेष रूप से छोटी राशि के खंड में और
- प्रवर्तकों पर परियोजना विशेष रूप से पुनर्संरचित खातों में पर्याप्त ईक्विटी नहीं लाने/ अथवा लाने के लिए दबाव डालना जिससे परियोजना के निम्नगामी जोखिम कम हो जाते हैं।

33. समग्र एनपीए अनुपात और वसूली कार्यनिष्पादन के मामले में पुनर्संरचना में बैंक समूहवार काफी अधिक भिन्नता है। 2002 से बैंकिंग प्रणाली के सकल अग्रिमों, एनपीए और संरचित मानक अग्रिमों में विभिन्न बैंक समूहों का हिस्सा अनुबंध में दिया गया है। यदि एनपीए के साथ-साथ पुनर्संरचित मानक आस्तियों और संचित बट्टे खाते डालने पर विचार किया जाए तो विभिन्न बैंक समूहों की आस्ति गुणवत्ता और अधिक मुखर होकर सामने आएगी बजाय इसके कि सकल एनपीए को अलगाव करके देखा जाए। इस प्रवृत्ति को और अधिक विश्लेषण करने के लिए, मैं एक अनुपात का प्रयोग करना चाहूँगा अथति 'हानिग्रस्त आस्ति अनुपात', जो कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए, पुनर्संरचित खातों और संचित बट्टे खातों का एक अनुपात है तथा जो, मुझे विश्वास है, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता का एक अधिक मजबूत संकेतक है। 2009 और 2013 के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हानिग्रस्त आस्तियों का अनुपात 6.08 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों के अनुपात में गिरावट आई तथा मार्च 2013 में यह सापेक्षिक रूप से 5.3 प्रतिशत तथा 6.4 प्रतिशत रहा। (सारणी 5)।

सारणी 5: हानिग्रस्त आस्ति अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	पुराने निजी बैंक	नये निजी बैंक	विदेशी बैंक
मार्च-09	6.8	6.8	6.6	6.5
मार्च-10	8.8	7.3	7.3	9.5
मार्च-11	8.1	6.1	5.5	7.2
मार्च-12	10.0	6.3	5.4	6.6
मार्च-13	12.1	6.8	5.3	6.4

34. विभिन्न बैंक खंडों (अनुबंध 6) की कुल हानिग्रस्त आस्तियों का सकल एनपीए, पुनर्संरचित खातों और संचित बट्टा खाता डालने का सापेक्षिक हिस्सा पुनः उसी बात पर जोर देता है जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ कि वे बैंक जो एनपीए की पहचान जितनी जल्दी कर लेते हैं, वे अपनी हानिग्रस्त आस्तियों का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर लेते हैं। मार्च 2013 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में सकल एनपीए हानिग्रस्त आस्तियों का 29 प्रतिशत था जबकि पुनर्संरचित खाता और बट्टा खाता डालना क्रमशः 52 प्रतिशत और 20 प्रतिशत था। इसके विपरीत, निजी क्षेत्र के नए बैंकों का हिस्सा 36 प्रतिशत, 22 प्रतिशत और 42 प्रतिशत था तथा विदेशी बैंकों का 45 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 52 प्रतिशत था (सारणी 6)। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में, एनपीए प्रबंधन के लिए पुनर्संरचना को एक साधन के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। एनपीए खातों का इस

सारणी 6 : कुल हानिग्रस्त आस्तियों में जीएनपीए, पुनर्संरचित खाते और बट्टे खाते डालने का हिस्सा

(प्रतिशत में)

	जीएनपीए	पुर्संरचित मानक खाते	संचयी बट्टे खाता डालना
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	28.9	51.6	19.5
पुराने निजी बैंक	27.6	57.9	14.5
नए निजी बैंक	36.1	21.5	42.4
विदेशी बैंक	44.6	2.4	53.0

प्रकार मुखावरण वसूली के प्रयासों सहित बेहतर ऋण प्रबंधन के प्रोत्साहनों को कम करता है।

35. आस्ति गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं ऐसा लगता है की पुरानी पीढ़ी के बैंकों में केन्द्रित हैं - जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पुराने निजी बैंक। मैं इन बैंकों के प्रबंधन से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस प्रवृत्ति के बारे में जागरूक हों और आरंभिक स्तर पर इस समस्या को पहचानने के लिए अधिक इच्छुक बनें ताकि एनपीए की समस्या का प्रारंभ में ही निदान खोज लिए जाए।

36. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभिन्न बैंक समूहों की आस्ति गुणवत्ता की स्पष्ट तस्वीर केवल तभी उभर सकती है यदि पुनर्संरचित खातों और बट्टा खाते डालने को शुमार में लिया जाए। जैसे कि मैंने पहले उल्लेख किया है, बट्टा खाते डालने से प्रणाली में प्रतिकूल प्रोत्साहन सृजित होते हैं और बैंक के वसूली प्रयासों में रुकावट आती है। पुनर्संरचित खातों के मामले में, इन मुद्दों को सम्पूर्ण रूप से पुनः देखे जाने की आवश्यकता है जैसे पुनर्संरचित किए गए खातों की पहचान, त्याग का निर्धारण, यदि कोई हो, तो पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत खातों के साथ विनियामी व्यवहार। मैं अपने संबोधन में कुछ देर बाद इन मुद्दों पर वापस आऊँगा।

(vi) विभिन्न खंडों के बीच आस्ति गुणवत्ता की प्रवृत्तियाँ

37. बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता का कोई विश्लेषण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों की प्रवृत्तियों की सम्पूर्ण जांच किए बिना अधूरा है। ऐसी धारणा है कि बड़े उधारकर्ता खंडों में हानियां कम होंगी क्योंकि बैंक छोटे अग्रिमों की देखभाल की तुलना में बड़ी राशि के अग्रिमों की देखभाल में अधिक संसाधन व्यय करते हैं।

38. सकल एनपीए अनुपात पर आधारित विश्लेषण उपर्युक्त अनुमान को साबित करेगा। सकल एनपीए की संख्या से पता चलता है कि औद्योगिक अग्रिमों की तुलना में कृषि अग्रिमों की आस्ति गुणवत्ता से संबंधित चिंताएं अधिक हैं। लेकिन, यदि हम ''हानिग्रस्त आस्ति अनुपात'' को देखें तो पता चलता है कि कृषि/खुदरा खंड की तुलना में औद्योगिक खंड की आस्ति गुणवत्ता की अधिक चिंताए हैं और इनमें संकट के पश्चात इस खंड में बहुत अधिक गिरावट आई है। विभिन्न खंडों के बीच ''हानिग्रस्त आस्ति अनुपात'' के बैंक समूहवार आंकड़े अनुबंध 7 में दिये गए हैं।

39. बड़ी राशि के अग्रिमों में, आधारभूत संरचना वित्त सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। विभिन्न विनियामी, प्रशासनिक और कानूनी विवशताओं के कारण अपर्याप्त व्यवसायिकता तथा विभिन्न परियोजनाओं में प्रयोक्ता प्रभारों की अपर्याप्तता ने बैंकों पर दबाव डाला है। हमारे देश में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को ऐसी विवशताओं का सामना करना पड़ता है। यह खेद की बात है कि बैंकों ने अपने ऋण मूल्यांकन में इन मुद्दों को शामिल नहीं किया है और यह सुनिश्चित नहीं किया है कि कोयला, गैस को प्राप्त करने अथवा सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहीत करने में असमर्थता जैसी आकस्मिकताओं के लिए आपातकालीन व्यवस्था की गई है।

40. मध्यम और बड़े खंडों को दिये गए अग्रिम कुल बैंक अग्रिमों और कुल एन पीए के लगभग 50 प्रतिशत हैं जो इस बात का सूचक है कि आस्ति गुणवत्ता में मध्यम और बड़े उद्यमों के कारण गिरावट आई। यह 'हानिग्रस्त आस्ति अनुपात', में भी परिलक्षित होता है, यह अनुपात मध्यम और बड़े उद्यमों के लिए 14.8 प्रतिशत रहा जबकि मार्च 2013 को यह अति छोटे और छोटे उद्यमों के लिए 10.6 प्रतिशत था।

41. पुनर्संरचना के मामलों में भी, अर्थव्यवस्था के कमजोर खंड (अर्थात अति छोटे और छोटे उद्यम, कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) की तुलना में बड़ी राशि के उधारकर्ताओं के प्रति साफ तौर पर पक्षपात दिखाई पड़ता है। पुनर्संरचित खातों की सांख्यिकी दर्शाती है कि मध्यम और बड़े खंडों का पुनर्संरचना खातों में हिस्सा 90 प्रतिशत के ऊपर रहा जबकि अति छोटे और छोटे खंडों के हिस्से में वर्षों के दौरान गिरावट आई है (अनुबंध 8)। इसके अलावा, बड़ी राशि के खातों का सीडीआर मामलों में एक बड़ा हिस्सा है। यह पुनर्संरचना की सुविधा की अनुमति देने की भावना के विपरीत है क्योंकि आर्थिक मंदी का छोटे उधारकर्ताओं पर ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, ये उधारकर्ता व्यापार चक्रों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए बड़े उधारकर्ताओं की तुलना में अस्थायी समस्याओं से निजात पाने के लिए पुनर्संरचना की आवश्यकता पड़ सकती है। वास्तविकता यह है कि छोटे उधारकर्ताओं को दिये गए अग्रिम, जो सही जरूरत के हिसाब से दिए गए हैं, नज़रअंदाज़ हो सकते हैं और एनपीए में जा सकते हैं जिससे एक ऐसी धारणा बनेगी कि छोटे उधारकर्ताओं के मामले में अनर्जक आस्तियों की संख्या काफी अधिक है जिससे बड़ी राशि के अग्रिमों को बढ़ावा मिलने की संभावना बनती है और इससे यह तथ्य अनदेखा हो जाएगा कि बड़े उधारकर्ताओं में कम

एनपीए मुख्य रूप से ऐसे खातों की व्यापक पुनर्संरचना/बट्टे खाते डालने के कारण है। इसलिए बड़े उधारकर्ताओं को उधार देने की दौड़ में बैंक छोटे उधारकर्ताओं के रूप में एक बहुत बड़ा व्यापार अवसर खो देंगे।

42. बैंकों की आस्ति गुणवता के बारे में एक सामान्य मिथक यह है कि निदेशित उधारों ने बैंकों के एनपीए को बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान दिया है क्योंकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के प्रति ऋण का एनपीए अनुपात, गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की तुलना में अधिक है। लेकिन, यदि हानिग्रस्त आस्ति अनुपात पर विचार किया जाए तो गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की तुलना में अधिक चिंता का विषय है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के मामले में यह अनुपात संकट की अवधि के पश्चात काफी हद तक गिरा भी है।

43. संक्षेप में, मैं कहना चाहूँगा कि यह धारणा कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये गए उधारों में गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की तुलना में अधिक ऋण जोखिम होता है, पूरी तरह गलत है और इसको बदलने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो छोटे उधारकर्ता बैंकों के लिए एक दबाव का कारण नहीं हैं; बल्कि उनके विरुद्ध यह एक पूर्वाग्रह है जिसके कारण उनके खातों को कमजोर समझा जाता है।

अध्ययन के निष्कर्ष और अन्य मामले

44. अभी तक हमने बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की प्रवृत्तियों और विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की। अब हम आपको, उन बड़ी 'सीखों' के बारे में बताऊँगा जिनको हम अपने विशलेषण के दौरान पा सकते हैं।

(क) **प्राथमिक सूचना प्रणाली -** शुरू में मैंने बताया था कि सूचना प्रणाली का विकास कैसे बदलते बैंकिंग परिदृश्य के साथ-साथ नहीं बदल पाया। सूचना प्रणाली के सुधार बैंकों की आस्ति आकार में वृद्धि तथा ऋण प्रबंधन में बढ़ती जटिलताओं के अनुरूप नहीं हैं। चूक संबंधी सूक्ष्म आंकड़ों के अभाव, आस्ति गुणवत्ता में गिरावट के प्रारंभिक संकेतों, खंडवार रुझानों आदि ने समस्याग्रस्त खातों और बैंकों की कमजोर ऋण जोखिम प्रबंधन क्षमता संबंधी जानकारी समय से प्राप्त होने में रुकावट डाली। परिणाम के रूप में, बैंक संकट पूर्व की अवधि में आस्ति गुणवत्ता की प्रवृत्तियों के विपर्यय को पहचानने में असफल रहे। जैसा कि आप जानते हैं, बेहतर ऋण प्रबंधन के लिए एक मजबूत डेटाबेस रखना आवश्यक है जिसमें बारीक से बारीक जानकारी रखी जाए और इसलिए बैंक के उच्च प्रबंधन के एक भाग के रूप में आपको अपने अधिकारियों को यह डेटाबेस बनाने के लिए प्रेरित करना है तथा इस जानकारी को समस्याग्रस्त खातों, आस्ति गुणवत्ता की प्रवृत्तियों आदि की शीघ्र पहचान करने के लिए भी प्रयोग करना है।

(ख) **उच्च एनपीए जीडीपी में केवल गिरावट से ही नहीं है-** असंदिग्ध रूप से, समिष्ट आर्थिक वातावरण का बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। आस्ति गुणवत्ता में हाल की गिरावट देश की वृद्धि दर में गिरावट के समवर्ती है जिसमें बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की चक्रीयता और अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक कार्यनिष्पादन के साथ लिंकेजों के बारे में अक्सर उदाहरण दिए जाने वाले तर्कों पर पुनः ज़ोर दिया गया है। तथापि, सकल एनपीए की वृद्धि दर की प्रवृत्तियों और भारतीय बैंकों की चूकों पर निकट से दृष्टि डालने पर पता चलता है कि आस्ति गुणवत्ता में हाल की गिरावट के बीज, आर्थिक वृद्धि में गिरावट अर्थात 2006-08 के काफी पहले बोये जा चुके थे जब आस्ति गुणवत्ता के अधिकांश संकेतक अपनी सर्वाधिक मजबूती पर थे। इसलिए, आस्ति गुणवत्ता में हालकी गिरावट के लिए देश के समष्टि आर्थिक कार्य निष्पादन में हाल की गिरावट को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट के बावजूद, ऐसे अन्य कारक/नैमित्तिक संबंध भी हैं जो बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। मै इनमें से कुछ कारकों पर गहराई से विचार करूँगा।

(ग) **शिथिल ऋण प्रबंधन-** विश्लेषण से पता चलता है कि आस्तियों में हानियां ऋण प्रबंधन की कमियों के कारण थीं जो संकट पूर्व के 'अच्छे वर्षों' के दौरान प्रवेश कर गयी थीं। 2004-08 में उच्च ऋण वृद्धि वाले बैंकों के एनपीए में 2008-13 के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई। ऋण और एनपीए वृद्धि के बैंक वार विश्लेषण से पता चलता है कि 2008-13 की अवधि के दौरान एनपीए की चक्रवृद्धित वार्षिक वृद्धि दर बैंकों के मामले में सर्वाधिक थी जिनके ऋण का सीएजीआर (2004-09) के दौरान अधिक था। इस प्रकार संकट पूर्व के वर्षों के दौरान ऋण

मूल्यांकन में कमी आई, ऋण निगरानी में लापरवाही हुई और वसूली के प्रयास धीमे हुए। अब मै कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा जिसमें ऋण मूल्यांकन में कमी के कुछ विशिष्ट उद्धरण भी दूंगा।

- साक्ष्य बताते हैं कि बैंक सीमाओं को मंजूर करते समय अथवा नवीकृत करते समय लीवरेज के निर्माण की पर्याप्त पहचान नहीं कर पाए। वास्तव में, बैंक की ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया प्रवर्तकों के ऋण और इक्विटी के बीच अंतर करने में विफल रहे, इससे कुछ काल के उपरांत प्रवर्तकों का इक्विटी योगदान काफी अधिक गिर गया और लीवरेज में बढ़ोतरी हुई। विशेष रूप से, हाल के वर्षों में बड़े व्यापार घरानों की ऋण गुणवत्ता में काफी अधिक वृद्धि हुई है। क्रेडिट सूसे के द्वारा दस बड़े कंपनी समूहों के अध्ययन से पता चलता है कि कुल बैंकिंग क्षेत्र के ऋण में इन दस कंपनी समूहों का हिस्सा 2007 और 2013 के बीच दो गुने से अधिक हो गया जबकि इन समूहों का समग्र ऋण दस गुने से अधिक बढ़ गया (एक ट्रिलियन के कम से 66 ट्रिलियन की अधिकता तक)।

- हास्यास्पद बात यह है कि बैंक उन क्षेत्रों को अधिक उधार देते पाए गए जिनकी हानियाँ अधिक थीं जिससे ऋण मूल्यांकन मानकों में संभावित त्रुटियों का पता चलता है। उदाहरण के लिए 2009-2012 की अवधि के लिए बैंकिंग क्षेत्र ऋण का सीएजीआर 19 प्रतिशत था; लौह और स्टील, आधारभूत संरचना, विद्युत और दूर संचार जैसे खंडों में बहुत अधिक वृद्धि हुई जबकि इन खण्डों का हानिग्रस्त आस्ति अनुपात काफी अधिक बना हुआ था।

- भारत में और विदेश में कार्यरत भारतीय कंपनियाँ पूंजी उगाहने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऋण बाज़ार तक बहुत अधिक पहुँच रही है। जबकि ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कम ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है, तरल विनिमय दर बाजार के परिवेश में कंपनियों को जोखिम है कि वे बिना हेज किए गए अपने एक्सपोजर के लिए विनिमय दर में आए प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से हनियां उठा सकती हैं। बिना हेज किया गया एक्सपोजर और ब्याज दरों में परिणामी वृद्धि से कंपनियों पर दबाव पड़ सकता है।

- बैंक पर्याप्त आकस्मिकता योजना नहीं बनाते हैं, विशेष रूप से परियोजना जोखिमों को कम करने के लिए। जबकि एक तरफ, बैंकों द्वारा किए जा रहे दबाव परीक्षण/उत्प्रेरणा मॉडेल से अधिक स्ट्रेस नहीं बनता है; उस सीमा तक जिस सीमा तक उधारकर्ता इसका सामना कर सकते हैं और ऐसे मामलों में जहाँ बैंक हेयरकट लागू करते हैं; दूसरी तरफ वे संभावित आकस्मिकताओं की कोई गणना भी नहीं करते जैसे गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की असफलता, राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को पूरा करने की विफलता, पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने में असफलता आदि। बैंकों को निश्चित रूप से ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों को गणना में लेना चाहिए तथा अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया में बैंक अप/आकस्मिकता योजना बनानी चाहिए।

- पुनर्संरचना उन कंपनियों तक बढ़ा दी गई जो अत्यधिक लीवरेज और अपर्याप्त लाभप्रदता की समस्याओं से गुजर रही थीं जो इस बात की ओर संकेत है कि पुनर्संरचना के समय कार्यक्षम स्थिति के मूल्यांकन में पूरी सावधानी नहीं बरती गयी।

- इसके अलावा, वे कंपनियाँ, जिनकी ऋण भुगतान क्षमता समाप्त हो रही थी, प्रणाली से अधिक से अधिक ऋण जुटा रही थीं। इस प्रवृत्ति ने, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता के लिए चिंताएं उत्पन्न कीं - एक तरफ ऋण की चुकौती में कंपनियों की क्षमता गिर रही थी और दूसरी तरफ अत्यधिक उधार लेने से ब्याज दर जोखिम के प्रति एक्सपोजर बढ़ रहा था।

बैंकों में मूल्यांकन और ऋण प्रबंधन मानकों में संभावित गिरावट का संकेतक अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ियों की बढ़ती घटनाओं की ओर संकेत करता है विशेष रूप से हाल के वर्षों में बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों के मामले में शामिल कुल राशि की 64 प्रतिशत से अधिक राशि अग्रिम से संबंधित थी। इस स्थिति का मेरा ऐसा मूल्यांकन है, ऐसे मामलों में प्रायः ऐसी स्थिति होती है। यह ऋण मूल्यांकन और संवितरण पर्यवेक्षण प्रक्रिया के पश्चात की विफलता है जिसके परिणामस्वरूप खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। मंजूरी देने वाले प्राधिकारियों की यह एक प्रवृत्ति नजर आ रही है कि वे ऋण मूल्यांकन की अपनी विफलताओं को उधारकर्ता द्वारा की गई धोखाधड़ी का नाम देते हैं। कारोबार विफलता को धोखाधड़ी के रूप में पहचाने जाने से जुड़ा नैतिक जोखिम यह है कि ऋण मूल्यांकन की त्रुटि सामने नहीं आती है और स्टाफ की ज़िम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है।

(घ) **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उप-इष्टतम ऋण प्रबंधन** - हमारे विश्लेषण में यह खुलासा किया गया है कि ऋण प्रबंधन की कमजोरियां, जिन पर मैंने विस्तार से चर्चा की है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बहुत अधिक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के नए तथा विदेशी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में बहुत अधिक असमानता इस बात का प्रमाण है कि बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में हाल की गिरावट आर्थिक मंदी के लिए एक मात्र कारण नहीं है क्योंकि सभी बैंक समूह समान सीमा में प्रभावित नहीं हुए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधन और गवर्नेंस व्यवस्था से संबंधित कुछ संरचनात्मक कमियों से गुजर रहे हैं। शिथिल ऋण प्रबंधन (ऋण मूल्यांकन, ऋण पर्यवेक्षण, आदि) और कमजोर गवर्नेंस तथा प्रबंधन मानक, यद्यपि ये संकट के पूर्व भी विद्यमान थे, की घटनाओं से समय पर नहीं निपटा गया परिणामस्वरूप अनुमानित से अधिक प्रभाव पड़ा।

दूसरी तरफ, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों ने मंदी से उत्पन्न पूर्व खतरों की जल्दी से पहचान कर ली और उन्होंने उसका प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया। ऐसा संकट के तुरंत पश्चात निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के चूक अनुपात में तीव्र वृद्धि के रूप में दिखा लेकिन इस गिरावट को बेहतर ऋण प्रबंधन प्रणाली तथा और अधिक समन्वित वसूली के प्रयासों के माध्यम से तेजी से रोक लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तेजी से समान रूप से प्रत्युतर देने में नाकामयाब रहे और उनको संकट के पश्चात आस्ति गुणवत्ता में काफी अधिक गिरावट का सामना करना पड़ा। समस्या को समझने की विफलता और प्रारम्भिक अवस्था में पूर्व में ही निकास मार्ग न ढूंढ पाने की असमर्थता का कतिपय निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों ने बहुत सफलतापूर्वक उपयोग किया, इससे भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हानियों के बहुत अधिक बढ़ जाने की संभावना है।

हमारी बैंकिंग प्रणाली कितनी आघात-सहनीय है?

45. अभी तक मैंने उन समस्याओं पर प्रकाश डाला जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के ऋण प्रबंधन में व्याप्त हैं; मैं अब कुछ सकारात्मक बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सहूलियत देने वाली बात यह है कि जहाँ तक एनपीए अनुपात का संबंध है हम अतीत के बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय से सफलतापूर्वक बाहर निकल आए हैं। वास्तव में, मार्च 1994 में एनपीए का स्तर वर्तमान स्तर की तुलना में बहुत अधिक था। मार्च 1994 में समग्र बैंकिंग प्रणाली का जीएपीए का अनुपात 19 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 21 प्रतिशत था। इस बैंचमार्क को सामने रखकर बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए की वर्तमान स्थिति चेतावनीपूर्ण नहीं है। मार्च 2013 में बैंकिंग क्षेत्र का जीएपीए अनुपात 3.4 प्रतिशत था और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 3.6 प्रतिशत था। यदि हम हानिग्रस्त आस्ति अनुपात पर विचार करें तो कुल मिलाकर यह प्रणाली के लिए काफी कम आस्ति 10.6 प्रतिशत है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह 12.1 प्रतिशत है।

46. निराशा के बादलों में आशा की एक दूसरी किरण भारतीय बैंकों की सुदृढ़ पूंजी की स्थिति है। जून 2013 को बैंकों के आस्ति संविभाग के हमारे तनाव परीक्षण (बैंकों के पुनर्संरचित खातों को आघातों सहित, विभिन्न स्थिर ऋण आघातों का अनुप्रयोग करके) से पता चलता है कि प्रणाली स्तर का सीआरएआर 9 प्रतिशत के अपेक्षित न्यूनतम से कम रहेगा। इस प्रकार, केवल एनपीए पर 150 प्रतिशत के गंभीर आघात के अंतर्गत, कोर सीआरएआर 6 प्रतिशत नीचे गिर जाएगा।

47. वैश्विक सहभागियों की तुलना में बैंकों के प्रावधान कवरेज अनुपात का सापेक्षिक रूप से कम स्तर, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अन्यत्र रूप से काफी अधिक आघात सहनीय रहने के बावजूद, कमजोर स्थिति में है। दुखद पहलू यह है कि हाल के वर्षों में इस अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। रिज़र्व बैंक में किए गए एक अध्ययन (जून 2013 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में शामिल) में मूल्यांकन किया गया है कि तनावग्रस्त समष्टि आर्थिक दशाओं के अंतर्गत, भारत में बैंकों का प्रावधान कवरेज, प्रत्याशित हानियों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। यदि पुनर्संरचित मानक अग्रिमों पर भी विचार किया जाए तो पीसीआर एक निराशाजनक तस्वीर पेश करता है क्योंकि मार्च 2013 में यह घटकर 30 प्रतिशत हो गया जबकि मार्च 2009 में यह 35 प्रतिशत था। इसलिए बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने वर्तमान स्तर से अपने प्रावधान कवर को बढ़ाएं और अपने तुलन पत्र को मजबूत करें।

48. इस प्रकार कुल मिलाकर जबकि बैंक आस्ति गुणवत्ता की वर्तमान गिरावट का सामना कर सकेंगे, चूकों में वृद्धि और कम पीसीआर स्तर से संबद्ध पुनर्संरचना की मात्रा चिंता का कारण है और कुछ समय के पश्चात यह स्थिति और बड़ी चिंताएं सामने ला सकती है विशेष रूप से यदि समय पर सही कार्रवाई नहीं की गई।

सिफारिशें और भावी दिशा

49. अब मैं अब तक गिनाई गई आस्ति गुणवत्ता से संबंधित चिंताओं पर नीति-निर्माताओं और बैंकों के लिए भावी दिशा की बात करना चाहूँगा। मैं जो सिफारिशें कर रहा हूँ उनको मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है - एक समूह अल्पकाल के लिए और दूसरा समूह दीर्घकाल के लिए। अल्पकाल में इसका उद्देश्य मुद्दों का समाधान करना है साथ ही समयबद्ध तरीके से हानिग्रस्त आस्तियों के मौजूदा स्टॉक पर भी विचार करना है। दीर्घकालिक उपायों से उन मुद्दों से निपटना होगा जो बहुत अधिक गहराई में जड़े जमाए बैठे हैं और इसके लिए सभी हितधारियों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए नियामक ढांचे और कानूनी ढांचे आदि में प्रणालीगत और प्रक्रियागत सुधार करने होंगे।

(i) अल्पकालिक उपाय

एनपीए/पुनर्संरचित अग्रिमों की समीक्षा

50. अल्पकाल में, एनपीए के रूप में और पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत खातों की तुरंत समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मामला-दर-मामला आधार पर इन खातों की अर्थक्षमता अथवा इसकी अन्यत्र स्थिति का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होगा। वे खाते जो अर्थक्षम पाए गए हैं को अतिरिक्त वित्त/अन्य साधनों से समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है ताकि इस बदलाव को सुनिश्चित किया जा सके जबकि वे जो गैर अर्थक्षम हैं को तुरंत वसूली/समाधान के लिए हाथ में लिया जाए जिससे बैंकों को हानियां देने वाली चूकों को कम किया जा सके।

51. उन खातों में जहाँ पुनर्संरचना पर विचार किया जा रहा है यह आवश्यक है किये निर्णय एक पूर्वनिर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लिए जाए। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रवर्तकों को बैंकिंग प्रणाली से और उधार लिए बिना अपने हिस्से की हानियों का स्वीकार करना है अथवा इक्विटी में अपने अंशदान के लिए किसी संरचित उत्पाद को नहीं लगाना है। यदि आवश्यकता हो तो नए प्रवर्तकों को यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड में लाना है कि अधोगामी जोखिमों को समान रूप से बॉट लिया जाए।

52. जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सभी गैर अर्थक्षम खातों को समयबद्ध आस्ति वसूली अभियान के अंतर्गत और आस्तियों की बिक्री को आरसी अथवा सरफेसाई अधिनियम के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। दूसरा विकल्प, जिसकी ऐसे मामलों में तलाश किए जाने की आवश्यकता है, प्रबंधन/स्वामित्व पुनर्संरचना है और बैंकों को उन इकाइयों को अधिग्रहण करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता है जिनमें प्रवर्तकों की इक्विटी कम है या मौजूद नहीं है (और इसी कारण प्रवर्तकों की किसी इकाई के पुनर्वास में कोई दिलचस्पी नहीं होती), किसी इकाई को एक मध्यस्थ अथवा एजेंट के माध्यम से चलाया जाए और किसी इकाई का निस्तारण तभी किया जाए जब यह पर्याप्त रूप से पुनर्वासित हो जाए।

53. मैं सुदृढ़ता से महसूस करता हूँ कि छोटे खातों की पुनर्संरचना की प्रणाली को सुधारात्मक कार्रवाई में विशेष उल्लेख किये जाने की आवश्यकता है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल एसएमई और अन्य खंड अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण खंड हैं क्योंकि वे एक बहुत बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि अस्थायी समस्याओं का सामना कर रहे इन खंडों के अंतर्गत कार्यक्षम व्यापार के बीच कोई भेदभाव नहीं करना है। पुनर्संरचना के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण पुनर्विन्यास किए जाने की आवश्यकता है जिससे छोटे ग्राहकों के प्रति और अधिक विनम्रता दिखाई जा सके।

(ii) दीर्घकालिक उपाय

बेहतर ऋण जोखिम प्रबंधन

54. बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा की पहली पंक्ति, बैंकों का अपना ऋण जोखिम प्रबंधन है। यदि बैंकों की आस्ति गुणवत्ता के स्वरूप में निरंतर आधार पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है, तब बैंकों में मजबूत ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लाए जाने की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में विभिन्न पहलू जैसे - ऋण मूल्यांकन, ऋण निगरानी, उत्तरदायित्व तय करने की प्रभावी प्रणाली आदि शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षित सुधारों पर मैं चर्चा करूँगा।

(क) ऋण मूल्यांकन को बढ़ाना - मेरा मूल्यांकन है कि बैंकों के ऋण मूल्यांकन मानक पिछले कुछ वर्षों में काफी अधिक कमजोर हुआ है। बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में तीव्र गिरावट को रोकने के लिए, बैंकों को वर्तमान की तुलना में कतिपय पक्षों पर बहुत अधिक गंभीरता से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं उनमें से कुछ की एक सूची देना चाहूँगा:

- **समूह लीवरेज** : उस समूह के लीवरेज की प्रवृत्तियों जिससे उधार लेने वाली फर्म संबंधित है, समूह की समग्र ऋणग्रस्तता में वृद्धि, विशेष रूप से पिछले दो/तीन वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र से लिए गए उधारों की गहराई से समीक्षा की जानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि होल्डिंग कंपनी के स्तर पर लीवरेज को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाए।
- **इक्विटी पूंजी के स्रोत / संरचना** : परियोजना वित्त में सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रवर्तकों द्वारा अंशदान में की गई इक्विटी के स्रोत और संरचना है। जैसा कि मैंने पहले ही शीर्षक में उल्लेख किया है, इस क्षेत्र को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बैंकों को यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि प्रवर्तकों के अंशदान को इक्विटी के माध्यम से निधीकृत किया जाए न कि ऋण द्वारा जिससे प्रवर्तकों का इसमें पर्याप्त हित हो सके। इक्विटी के स्रोत पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि अक्सर बड़े समूह के अंतर्गत होल्डिंग कंपनी स्तर पर प्रवर्तकों द्वारा संरचित उधारों के माध्यम से परियोजना का निधिकरण किया जाता है और जिसको सहायक कंपनी में इक्विटी के रूप में समझा जाता है। प्रतिकूल स्थितियों से निजात पाने के लिए अतिरिक्त इक्विटी जुटाने की उधारकर्ताओं की योग्यता की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- **जटिल परियोजना संरचना :** यदि परियोजना संरचना जटिल/ मुद्रिका आबद्ध (जैसाकि एसवीपी संरचना में है) है, तो बैंकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए जब वे ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन करें और यदि, आवश्यक हो, तो इन हितों की रक्षा करने के लिए अतिरिक्त इक्विटी की अपेक्षाओं को निर्धारित करें।
- **बाह्य विवशताएं** : अक्सर परियोजनाएं विलंबित हो जाती हैं या प्रवर्तकों/ बैंकों के नियंत्रण के बाहर के कारकों के कारण पर्याप्त व्यापारीकरण की स्थिति तक नहीं पहुँच पाती हैं अर्थात पर्यावरण और अन्य अनापत्ति प्रमाण-पत्रों जैसी विनियामी, राजनैतिक और कानूनी विवशताएं आदि। चूंकि बैंकों को आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर एक्सपोज़र का सामना करना पड़ता है उनको परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय आवश्यक संवेदनशीलता विश्लेषण और आकस्मिकता योजना बनानी चाहिए तथा ऐसे बाह्य कारकों के विरूद्ध पर्याप्त रक्षोपाय करने चाहिए।

(ख) **शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता** - समय पर निर्णय लेना किसी परियोजना की सफलता के लिए आवश्यक है। मूल्यांकन स्वीकृति और संवितरण के निर्णयों को समय पर और तीव्र गति से लेना चाहिए। इसी प्रकार, यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त सीमा/ रियायत की शीघ्रता से मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि कारोबार इकाई समस्या से आसानी से निजात पा सके।

(ग) **ऋण निगरानी को मजबूत करना** : एक प्रभावी मूल्यांकन को पर्याप्त निगरानी से समर्थित होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाता मानक और कार्य निष्पादक बना हुआ है। इस संबंध में एक पूर्वचेतावनी प्रणाली और एक व्यापक एमआईएस विकसित करने की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि नियमित रूप से व्यवहार्यता मूल्यांकन किया जा सके।

(घ) **जिम्मेदारी तय करना** : यदि उनकी प्रवर्तनीयता कमजोर है तो कोई भी नियम और विनियम आसानी से मामलों का समाधान देने में मदद नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार, ऋण जोखिम प्रबंधन में चूकों की जिम्मेदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि ऋण जोखिम प्रबंधन स्वयं है। वर्तमान प्रणाली निचले स्तर के अधिकारियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती है, अधिकांश मामलों में इस अनुभाग के स्टाफ-सदस्यों को खातों के अनर्जक होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है इसके बावजूद भी कि यह ऋण वरिष्ठ स्तर पर या बोर्ड स्तर पर स्वीकृत किया गया है। कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को तभी जबाबदेही के लिए जांच के दायरे के अंतर्गत लाया जाना चाहिए यदि निगरानी/कार्यान्वियन स्तर पर कमी का कोई स्पष्ट मामला हो। दूसरे शब्दों में, मंजूरी देने वाले अधिकारी को भी विफल अथवा अनपयुक्त ऋण निगरानी के मामले में जिम्मेदारी का बोझ उठाना चाहिए। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या बोर्ड/उच्च प्रबंधन के लिए ऋण की निगरानी करना व्यावहारिक है। उनको मेरा उत्तर यह है कि यदि वे अधिकार संपन्नता की खुशफहमी को अपने पास चाहते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी भी स्वीकार करना चाहिए। आपको एक प्रकार की एक ऐसी व्यवस्था अमल में लानी चाहिए जो आपको, स्वयं द्वारा मंजूरी किए गए ऋणों के कार्य निष्पादन की निगरानी करने की अनुमति देती हो। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कृपया यह

जिम्मेदारी शाखा प्रबंधकों/निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए छोड़ देनी चाहिए। जिम्मेदारी की संरचना में विलंब से निर्णय लेने या निष्क्रियता की घटनाओं को भी शामिल किया जाए विशेष रूप से तब, जब विलंब का परिणाम किसी इकाई की कार्यप्रणाली में व्यवधान रहा हो या फिर विलंबित मंजूरी/संवितरण/पुनर्नवीकरण। पुनर्संरचना के कारण ऐसी विफलता रही हो। यह जिम्मेदारी ऐसे सनदी लेखाकारों, प्रमाणित मूल्यांककों, वकीलों आदि पर भी डाले जाने की आवश्यकता है जो उधार लेने वालों के साथ मिली भगत करते हैं और झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं ताकि बैंक वित्त लेने में उधारकर्ताओं की मदद की जा सके।

(ङ) **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंपनी गवर्नेंस के मुद्दों से निपटना -** जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कंपनी गवर्नेंस व्यवस्था में कुछ अंतर्निहित संरचनात्मक कमजोरियां हैं। इसके लिए अनेक उपाय किए जाने की आवश्यकता है जैसे शीर्ष कार्यपालकों की नियुक्ति के लिए समुचित 'सही और उपयुक्त कसौटी' अपनाना, अध्यक्ष/ अन्य उच्च कार्यपालकों के लिए एक खुली, बाजार व्यापी खोज़ की एक प्रणाली स्थापित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में आरबीआई/ अन्य उच्च कार्यपालकों की भूमिका की समीक्षा करना, बैंकों के शीर्ष कार्यपालकों का कार्यकाल निश्चित करना जिससे कि शीर्ष कार्यपालकों की पर्याप्त रूप से लम्बी कार्यावधि हो, उन्हें बाज़ार आधारित पारश्रमिक देना, कार्यपालकों के लिए प्रोत्साहन ढांचे की समीक्षा करना, कार्यपालकों और बोर्ड की और अधिक जिम्मेदारी आदि तय करना।

बेहतर सूचना प्रणाली

55. जैसा कि पहले मैंने कहा है कि सूचना प्रणाली ऋण जोखिम प्रबंधन का आधार होती है। जब तक कि जोखिम की पहचान न की जाए, इसका प्रबंधन करना संभव नहीं होगा। कोई मजबूत प्रबंधन प्रणाली अनिवार्य रूप से एक मजबूत सूचना आधार पर कार्य करती है। जबकि बैंकों ने इस क्षेत्र में काफी अधिक प्रगति की है, अभी काफी कुछ कार्य किया जाना शेष है। हम उदाहरण के रूप में बात करेंगे कि इस क्षेत्र में और अधिक किए जाने की आवश्यकता है:

- प्रयास किए जाने चाहिए कि और अधिक व्यापक और बारीक आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। उदाहरण के लिए, विभिन्न बैंकों के बीच सामान्य एक्सपोज़र की जानकारी के लिए एक एमआईएस को विकसित किया जाना चाहिए। हाल में आरबीआई ने इस दिशा में प्रयास शुरू किए हैं।
- सूचना प्रणाली को समय पर समस्याग्रस्त खातों की जानकारी प्रदान करनी होगी, चूकों के प्रारंभिक संकेतों की जानकारी देनी होगी और इन पहलुओं पर प्रबंधन को समय पर सूचनाएं प्रदान करनी होगी आदि।
- एक बैंक के अंतर्गत विभिन्न विभागों और विभिन्न बैंकों के बीच एक उपयुक्त समन्वयन प्रणाली विकसित करनी होगी।
- और सबसे महत्वपूर्ण बैंकों की सूचना प्रणाली को निर्णय लेने, पूंजी आयोजना, कारोबार रणनीति और उपलब्धियों की समीक्षा करने के साथ जोड़ना होगा।

मजबूत विनियामक ढांचा

56. आस्ति गुणवत्ता की गिरावट को दूर करने की जिम्मेदारी केवल बैंकों की नहीं है, नीति-निर्माताओं को भी तनावग्रस्त आस्तियों के लिए विद्यमान विनियामक ढांचे पर पुनर्दृष्टि डालने की आवश्यकता है। इस समीक्षा को कुछ कठोर प्रश्नों का सामना करना होगा। क्या हानिग्रस्त के रूप में खातों के वर्गीकरण के बारे में निर्देश काफी कड़े और प्रतिबंधात्मक हैं? क्या अनर्जक के रूप में वर्गीकृत खातों को समर्थन देने में बैंकों की अरुचि, नकदी प्रवाह की अस्थाई समस्याओं का सामना कर रही अर्थक्षम इकाइयों के गैर अर्थक्षम इकाइयों में रूपांतरण को बढ़ावा दे रही है?

57. देश में समग्र विनियामक दृष्टिकोण पर संपूर्ण पुनर्वीक्षा की आवश्यकता है। विनियमों को निहित जोखिम के अनुसार सहूलियत प्रदाता, व्यावहारिक और समानुपाती होना चाहिए। इसी प्रकार, हमें मानना होगा कि आवश्यकताओं को संतुलित बनाने के लिए कठिन संतुलन कायम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अर्थक्षम खातों को समर्थन दिया जाए और बैंकों को अग्रिम पोर्टफोलियो को 'ईवरग्रीनिंगट करने से हतोत्साहित किया जाए।

58. जैसा कि मैंने पहले संकेत दिया था, एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र, जहाँ पुनर्सरेखन के लिए विनियामी उपायों की जरूरत है - पुनर्संरचना का है। वैश्विक प्रथाओं की मांग है कि पुनर्संरचित

खातों को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाए। यह एक ऐसी प्रथा है जिसे विद्यमान वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत में अपनाए जाने की आवश्यकता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि ऋणों की सामान्य पुनर्व्याख्या, पुनर्अनुसूचीकरण, पुनर्वित्तीयन, अवधि बढ़ाने को पुनर्संरचना के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसी प्रकार, उस खाते को पुनर्संरचित नहीं माना जाना चाहिए यदि बैंक की तरफ से कोई माफी नहीं दी गई है तथा बैंक संपाश्र्विक की वसूली योग्य कीमत के बारे में संतुष्ट हैं। इसके अलावा, उन खातों को जिनका ब्याज नियमित रूप से मिल रहा है, एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। विशेष रूप से यदि उधारकर्ता, बैंक की आधार दर से ऊपर ब्याज की दर चुका रहा है तब उधारकर्ता से लिए जा रहे ब्याज की दर में मात्र कटौती को पुनर्संरचित/ अनर्जक के रूप में खाते के वर्गीकरण के लिए एक पर्याप्त कारण नहीं माना जाना चाहिए। किसी खाते को पुनर्संरचित अथवा पुनर्संरचित नहीं मानने संबंधी निर्णय को बैंक के बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए, ये निर्णय व्यापक विनियामी सिद्धांतों पर आधारित हो।

59. एक दूसरा क्षेत्र जहाँ सुधार की आवश्यकता है, तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना है। एनपीए की तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने की प्रथा नैतिक जोखिम और वसूली प्रक्रिया में लीकेज को उत्पन्न करती है अतः इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। बेहतर यह है कि कर अदा किया जाए बजाय कि तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने की प्रणाली को तोड़ा-मरोड़ा जाए। इसके अलावा, जैसा कि मैंने कहा है, अंतरराष्ट्रीय मानदंड़ों के अनुरूप प्रावधानन अपेक्षा की आवश्यकता है जिससे बैंकिंग प्रणाली की आघात सहनीयता को बनाए रखा जा सके।

60. खातों को मानक के रूप में मानने के लिए उन्हें पुनर्संरचित करने को और खातों को तकनीकी तौर पर बट्टे खाते डालने की चालू प्रथा को सभी उधारकर्ता खण्डों में एक समान रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन प्रथाओं के परिणामस्वरूप बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की स्थिति की गलत रिपोर्टिंग की जाती है। इस प्रकार की गलत रिपोर्टिंग से जोखिमों का गलत मूल्यांकन और संसाधनों का अकुशल आबंटन होता है जिससे बैंकिंग प्रणाली की समग्र कार्य कुशलता को क्षति पहुंचती है। इसलिए मेरी सिफारिशें ये हैं कि सभी पुनर्संरचित खातों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अनर्जक के रूप में माना जाए और तकनीकी तौर पर बट्टे खाते डालने की प्रथा समाप्त की जाए। यदि इन विनियामी व्यवस्थाओं को जारी रखना है, तो यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि ये व्यवस्थाएं बैंक उधारकर्ताओं के सभी खण्डों पर लागू हों। इस संबंध में नियम बनाए जाने चाहिए अथवा कम से कम कुछ मोटे मोटे सिद्धांत बनाए जाने चाहिए।

61. समस्त संसार में विनियामक ढांचा इन दो दृष्टिकोणों में से एक में बनाया जाता है - नियम आधारित अथवा सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण। भारत में, यद्यपि हमारे पास नियामक ढांचे के लिए कोई घोषित दृष्टिकोण नहीं है, विद्यमान ढांचे को एक ऐसे दृष्टिकोण के आधार पर बनाया गया है जो नियम आधारित और सिद्धांत आधारित दृष्टिकोणों का मिश्रण है। समग्र रूप से, यह दृष्टिकोण अधिक विवेकपूर्ण प्रतीत होता है। यद्यपि विनियामी उपायों में लोच कभी-कभी आकर्षक लगती है, किंतु विनियम में स्वेच्छाधारिता प्रणाली में 'दोष' पैदा करती है। एक समान दृष्टिकोण, चाहे यह सिद्धांत में हो या नियम आधारित विनियम के रूप में हो, को अपनाने और उसके लगातार अनुवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे विभिन्न बैंकों के बीच जोखिम प्रबंधन व्यवहारों में आवश्यक स्थिरता लाई जा सके और तदर्थ कार्यान्वयन प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके।

विधिक और संरचनागत ढांचों में सुधार करना

62. मजबूत विधिक और वसूली ढांचा के साथ-साथ एक सुविधाप्रदाता वित्तीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना और प्रभावी ऋण सूचना प्रणाली यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि बैंकों की आस्ति गुणवत्ता मजबूत बनी रहे। एक तरफ ऐसी व्यवस्था है जैसे कि कंपनी ऋण पुनर्संरचना, जिसका लक्ष्य अर्थक्षम लेकिन अस्थाई रूप से समस्याग्रस्त कंपनी अग्रिमों को पुनर्वासित करने का है। दूसरी तरफ ऐसी प्रणाली है जैसे कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और सरफेसाई अधिनियम जो गैर अर्थक्षम उधारों से निपटने के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करती है। इसके अलावा, ऐसी आस्ति पुनर्संरचना कंपनियां हैं जो बैंकों के समस्याग्रस्त ऋणों की बिक्री करके बेहतर ऋण जोखिम प्रबंधन और ऐसे ऋणों के लिए द्वितीयक बाज़ार बनाने में सहूलियत प्रदान करती हैं। लेकिन दुःख की बात यह है कि ऐसा ढांचा अपनी खुद की समस्याओं से घिरा हुआ है। अब हम एक-एक करके इन ढांचों की समीक्षात्मक दृष्टि से जांच करेंगे।

(क) **कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) व्यवस्था** - हाल की अवधि में सीडीआर के संदर्भों में बहुत अधिक वृद्धि हुई

है और सीडीआर के संदर्भित मामलों का एक्सपोज़रवार ब्यौरा दर्शाता है कि बड़ी राशि का एक प्रधान हिस्सा है।

ऐसे पर्याप्त प्रमाण हैं जो दर्शाते हैं कि सीडीआर व्यवस्था के प्रावधानों का समुचित रूप से या प्रभावी तरीके से उपयोग नहीं किया गया। जबकि उधारकर्ताओं और उधारदाताओं को पुनर्संरचना का लाभ मिलता है, वे प्रावधानन और प्रवर्तकों के त्याग के अर्थ में, कष्टप्रद त्याग से बचने का प्रयास करते हैं। मानदंडों से इस प्रकार बचना न केवल बैंकों के ऋण पोर्ट फोलियो की कमजोरियों को छिपाता है बल्कि प्रत्याशित हानियों के विरुद्ध उनकी सुरक्षा को कमजोर करता है। ऐसे खातों की अंतर्निहित ऋण कमजोरियां प्रवर्तकों के अल्प हितों के कारण और अधिक बढ़ जाती हैं। मैं इसके साथ और कहना चाहूंगा कि सीडीआर के मामले में विनियामक की दीर्घ धैर्यता ने बैंकों को प्रोत्साहित किया है कि वे ऋण प्रबंधन के अन्य साधनों का समुचित रूप से उपयोग करें।

मेरी समझ में, सीडीआर व्यवस्था के लिए प्रक्रिया, संरचना, प्रशासन और गवर्नेंस के अनुसार समग्र जांच की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर,

- पुनर्संरचना से पहले, बिना किसी कारण समुचित संदेह के इकाई की अर्थ सक्षमता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत पुनर्संरचना अथवा निकास का अनुमोदन किया जाना चाहिए।
- मूल इक्विटी निवेश (और अर्ध/ऋण नहीं) के माध्यम से प्रवर्तकों का हित परियोजना में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- एक स्वतंत्र पर्यवेक्षण और निगरानी की जानी चाहिए विशेष रूप से बड़े सीडीआर के मामले में ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पुनर्संरचना के पश्चात खाते में चूक की घटनाएं न हों। सीडीआर प्रकोष्ठ और संबंधित बैंकों को इस संबंध में तालमेल करना चाहिए।

(ख) **ऋण वसूली न्यायाधिकरण और अन्य कानूनी प्रावधान** - ऋण वसूली न्यायाधिकरण और ऋणों की वसूली के लिए विधिक प्रावधानों की प्रवर्तनीयता संबंधी चिंताएं है। वसूली के लिए विधि प्रणाली चूककर्ताओं के पक्ष में प्रतीत होती है। अत्यधिक विलंब प्रभावी समाधान को रोकता है, समय अंतराल से वसूली योग्य आस्तियों का मूल्य घटता है। इन व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने के लिए सही उपाय करने की आवश्यकता है अर्थात और अधिक ऋण वसूली न्यायाधिकरण और डीआरएटी स्थापित करना, प्रक्रियाओं के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण, रिकार्ड के डिजीटाइजेशन, समय अनुपालन को कड़ाई से लागू करना। हाल में ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम में किया गया संशोधन इस दिशा में उठाया गया एक प्रगामी कदम है देखें प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि अधिनियम 2012 (जो 15 जनवरी 2013 से लागू किया गया)। इस संदर्भ में, मेरा बैंक प्रबंधन से अनुरोध है कि मुकदमा फाइल किए गए खातों का गंभीरता से अनुवर्तन करें और आवधिक बैठकें बुलाएं तथा इन मामलों के निपटान के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण प्राधिकारी से बात करें।

(ग) **आस्ति पुनर्संरचना कंपनी -** रिज़र्व बैंक ने आस्ति पुनर्संरचना कंपनी की स्थापना को प्रोत्साहित किया है और इसके लिए एक विनियामी ढांचा बनाया गया है। लेकिन, आस्ति पुनर्संरचना कंपनी ने अभी वास्तव में कार्य करना शुरू नहीं किया है। बैंकों में एनपीए में बहुत अधिक वृद्धि के बावजूद, बैंकों का आस्ति पुनर्संरचना कंपनी के प्रति वृद्धिशील प्रवाह 2008 के 130 बिलियन रुपए से काफी अधिक घटकर 2012 [2] में 60 बिलियन रुपए हो गया है। एआरसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की जरूरत है ताकि उनमें पुनः जान डाली जा सके। एनपीए नीलामी प्रक्रिया, मूल्यन मानदण्ड आदि के स्पष्टीकरण/ मानकीकरण जैसे विनियामी उपायों पर विचार किया जा सकता है।

(घ) **ऋण सूचना कंपनी (सीआईसी) -** पहली ऋण सूचना कंपनी एक दशक पहले भारत में स्थापित की गई थी ताकि ग्राहक के जीवनचक्र के विभिन्न चरणों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋण जोखिम प्रबंधन में सहायता पहुंचायी जा सके। लेकिन, सीआईसी के आंकड़ों का उपयोग खुदरा क्षेत्र तक ही सीमित बना हुआ है अधिकाशतः निजी और विदेशी बैंकों तक।

[2] **स्रोत :** भारत में आस्ति पुनर्संरचना कंपनी का एशोसिएशन।

सीआईसी को न केवल मंजूरी प्रयोजनों के लिए बल्कि निगरानी और वसूली के लिए भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। निगरानी के चरण में, सीआईसी ग्राहकों को चहुँतरफा दृष्टि प्रदान कर सकती है, इस प्रकार यह संविभाग जोखिम मूल्यांकन और पूर्व चेतावनी देने में हमें समर्थ बनाती है ताकि चूकों का पता लगाया जा सके और उनका समाधान किया जा सके। वसूली के चरण में, सीआईसी संस्थाओं तक कठिनता से संपर्क किए जा सकने वाले उनके आधारों तक पहुँचने में मदद कर सकती है, इस प्रकार वसूली में सुधार हो सकता है। मैं सीआईसी के व्यापक उपयोग के लिए कुछ उपायों की सूची देना चाहूँगा:

- क्रेडिट ब्यूरो द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार और यह सुनिश्चित करना कि ऋण संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडे संपूर्ण और सामयिक हैं।
- अधिक से अधिक ग्राहक खण्डों को अपने अंतर्गत लाकर आईआईसी के सूचना डाटाबेस को बढ़ाना।
- विशिष्ट सूचनाओं का मिलान करना जैसे - बंधक आस्तियों के ब्यौरे, पूर्व की चूकें, वसूली, बट्टे खाते डालना, धोखेबाज़ी अथवा अन्य आपराधिक गतिविधियां आदि।
- अन्य ऋण सूचना कंपनियों के बीच आंकड़ों की जानकारी बांटना ताकि उधारकर्ता के ऋण प्रोफाइल की पूरी तस्वीर सामने आ सके।
- ऐसी अतिरिक्त सूचनाओं का व्यापक डेटाबेस बनाना जो सीधे तौर पर उन ऋण सूचनाओं से संबद्ध न हो ताकि उनका औद्योगिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए उधारदाताओं द्वारा प्रयोग की जा सकेऔर संभावित ऋण घटनाओं पर भी उधारदाताओं को चेतावनी दी जा सके।

प्रमुख संदेश और उपाय

63. मैं कुछ प्रमुख उद्धरणों को आप सबके लिए पुनः दोहराना चाहूंगा :

क. परिणाम के रूप में दबावग्रस्त आस्तियों का वर्तमान स्तर स्वयं में चिंता का विषय नहीं है बल्कि दबावग्रस्त आस्तियों के सृजन/पुनर्संरचना की वर्तमान प्रक्रिया, प्रणाली और संरचना एक समस्या है। एनपीए के वर्तमान स्तर का प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन यदि एनपीए में गिरावट को रोकने के लिए सही कार्रवाई शीघ्रता से शुरू नहीं की गई, तो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को खतरा हो सकता है।

ख. आर्थिक मंदी और वैश्विक मंदी का मुख्य कारण दबावग्रस्त आस्तियों का सृजन नहीं है। वास्तव में बैंकों, उधारकर्ताओं, नीति निर्माताओं, विनियामकों और कानूनी प्रणाली सहित प्रणाली के ऋण और वसूली प्रशासन की कमियों ने मामले को वर्तमान स्थिति में ला दिया है।

ग. ऋण गुणवत्ता का आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों और विनियमों के साथ काफी अधिक सकारात्मक सहसंबंध है। विनियमों के प्रति शिथिल, नरम और ऊहापोह के दृष्टिकोण ने प्रणाली में एनपीए और दबावग्रस्त आस्तियों के सृजन में योगदान किया है क्योंकि एनपीए की पहचान करने में बैंकिंग प्रणाली के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन और दबावग्रस्त आस्तियों के लिए कोई प्रावधान सृजित नहीं किए गए हैं।

घ. कंपनी उधारकर्ताओं के लीवरेज के स्तर,उच्च ऋण संवृद्धि, इक्विटी की कमी और धोखाधडी के मामलों से संबंधित उदाहरण भी आपस में संबद्ध हैं। ये अपर्याप्त ऋण मूल्यांकन और रिकवरी प्रबंधन के प्रथम स्तर के डेरिवेटिव हैं।

ङ. बड़े बड़े ऋणों की स्वीकृति के समय और पुनर्संरचना के समय, मूल्यांकन के मानक शिथिल हैं जबकि बैंक छोटे उधारकर्ताओं के लिए बहुत कठोर हैं। पुनर्संरचना और बट्टा खाते डालने की प्रक्रिया भी छोटे ऋणों की तुलना में बड़े ऋणों की ओर ज्यादा पक्षपातपूर्ण है। इसके साथ ही आंकड़ों से भी पता चलता है कि छोटे उधारकर्ता की तुलना में बड़ी राशि के अग्रिमों के लिए ऋण जोखिम ज्यादा है। बैंकों को छोटे उधारकर्ताओं के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखनी चाहिए और बड़े उधारकर्ताओं के प्रति और कठोर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

च. वे बैंक, जो एनपीए को पहचानने की प्रक्रिया तेजी से और आक्रामक रूप से अपना रहे हैं, वे अपनी आस्ति गुणवत्ता को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सके हैं।

छ. कतिपय खण्ड़ों में ऋण वृद्धि की उच्चगति, बाद की अवधियों में उन खण्ड़ों में कमतर ऋण गुणवत्ता में परिणत हुई है।

ज. ऋण प्रबंधन और वसूली प्रबंधन की समग्र मानक और गुणवत्ता बहुत कमजोर है।

झ. जानकारी के आधार पर समय पर कार्रवाई अन्यत्र भी करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

64. अंत में, जो मुद्दे आज मैंने उठाए हैं उन पर सभी हितधारियों - विनियामकों, नीति निर्माताओं, बैंकों और बैंक ग्राहकों द्वारा समुचित ध्यान और समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हमारे लिए सबसे पहला सबक यह है कि विनियामक की धैर्यशीलता उन सभी बीमारियों की रामबाण दवा नहीं है जो बैंकिंग क्षेत्र के ऋण प्रबंधन परिवेश को रुग्ण कर चुकी है। समस्याओं को छिपाना उनका हल नहीं है। हमें स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी पुरानी गलितियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, बैंकों को आगे ऋण मूल्यांकन मानकों को मजबूत करने की आवश्यकता है और प्रवर्तकों द्वारा लाई गई इक्विटी की मात्रा, बड़ी इक्विटी के स्रोत और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के मामले में आकस्मिकता स्थितियों के लिए योजना पर और ज्यादा ध्यान देना है। पुनर्संरचना प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया में सुधार लाए जाने की आवश्यकता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि पुनर्संरचना के लाभ छोटे उधारकर्ताओं तक भी पहुंचें। सीडीआर प्रणाली का पूरी तरह दुरुपयोग किया गया है और इसकी पूरी जाँच किए जाने की आवश्यकता है साथ ही प्रस्तावों के अनुमोदन और निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निगरानी निकाय को स्थापित करने की जरूरत है। इस कारण से मैंने अपने संबोधन में पहले ही उल्लेख किया है कि पुनर्संरचना और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने संबंधी विनियामी दिशानिर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए और इन उपायों को मजबूत ऋण प्रबंधन तथा वसूली परिवेश को सुनिश्चित करने के लिए समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। भावी दिशा निर्धारित करने के लिए वर्तमान एनपीए की सावधानीपूर्वक समीक्षा - पुनर्वास अथवा वसूली जैसे कुछ ठोस उपाय अल्पकाल में किए जाने की आवश्यकता है। अर्थक्षम के रूप में पहचाने गए खातों को बैंक और उधारकर्ता की मदद से शीघ्रता से पुनर्वासित किए जाने और साथ ही नए प्रवर्तकों से नई इक्विटी लाए जाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर सभी स्तर के हितधारियों - बैंकों, उधारकताओं, विनियामकों, नीति निर्माताओं और सरकार के लिए एक मजबूत उत्तरदायित्व प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर आधार पर सुधार हो।

65. मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि आज के मेरे संबोधन का उद्देश्य गलती निकालना नहीं है बल्कि एक बहस शुरू किए जाने और बैंकिंग समुदाय को पिछली गलतियों के लिए आत्ममंथन करने हेतु प्रेरित करने का एक प्रयास है तथा भविष्य में हमें क्या कुछ अलग करने की आवश्यकता है, इस पर भी एक बहस शुरू किए जाने का एक प्रयास है। मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित बैंकों का शीर्ष प्रबंधन, उधारकर्ता, विनियामक, नीति निर्माता और सरकारी कार्यकर्ता उन प्रमुख संदेशों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे जो मैंने अपराह्न के समय देने की कोशिश की है और वे यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे बैंक वर्तमान संकट से और मजबूत होकर उभरें तथा वे भविष्य के बैंक बन सकें। एक शीघ्र और दृढ़ कार्रवाई समय की आवश्यकता है और मैं इस प्रयास में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पुनः आईबीए और बैंक ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपके बीच अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

धन्यवाद !

अनुबंध 1
बैंक समूहवार सकल एनपीए अनुपात और निवल एनपीए अनुपात*

(प्रतिशत)

	सभी बैंक		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		पुराने निजी बैंक		नए निजी बैंक		विदेशी बैंक	
	जीएनपीए	एनएनपीए	जीएनपीए	एनएनपीए	जीएनपीए	एनएनपीए	जीएनपीए	एनएनपीए	जीएनपीए	एनएनपीए
मार्च-94	19.1	13.7	21.1	14.5	6.9	3.9	N.A.	N.A.	1.5	-0.6
मार्च-95	15.3	10.5	17.1	11.4	7.4	4.1	2.2	0.9	1.6	-0.9
मार्च-96	13.9	9.2	15.9	9.9	7.0	3.7	0.8	0.5	1.8	-0.2
मार्च-97	14.3	9.5	16.4	9.6	8.3	4.7	2.9	2.5	3.6	1.0
मार्च-98	13.1	8.9	14.8	8.5	10.2	5.6	3.5	2.6	3.7	0.6
मार्च-99	13.3	9.0	14.6	8.0	13.0	7.8	4.6	3.5	5.0	0.9
मार्च-00	12.1	8.2	13.4	7.0	11.5	6.4	4.0	2.9	5.5	1.2
मार्च-01	11.1	6.3	12.0	5.5	11.9	6.7	5.4	3.2	6.7	1.7
मार्च-02	10.4	5.5	11.1	4.5	11.1	7.1	8.9	5.0	5.5	1.9
मार्च-03	9.1	4.4	9.4	3.7	8.9	5.4	10.0	4.7	5.3	1.8
मार्च-04	7.2	2.8	7.8	2.8	7.6	3.8	5.0	2.4	4.8	1.5
मार्च-05	4.9	2.0	5.4	2.0	6.0	2.7	2.9	1.5	3.0	0.9
मार्च-06	3.3	1.2	3.7	1.4	4.4	1.7	1.7	0.8	2.1	0.8
मार्च-07	2.5	1.0	2.7	1.1	3.1	1.0	1.9	1.0	1.9	0.7
मार्च-08	2.3	1.0	2.2	1.0	2.3	0.7	2.5	1.2	1.9	0.8
मार्च-09	2.3	1.1	2.0	0.8	2.4	0.9	3.1	1.4	4.3	1.8
मार्च-10	2.4	1.1	2.2	0.8	2.3	0.8	2.9	1.1	4.3	1.8
मार्च-11	2.3	1.0	2.2	0.8	2.0	0.6	2.3	0.6	2.5	0.7
मार्च-12	2.8	1.3	3.0	0.9	1.8	0.6	1.9	0.4	2.7	0.6
मार्च-13	3.2	1.6	3.6	1.0	1.9	0.8	1.8	0.5	3.0	1.0

* वैश्विक परिचालनों पर आधारित
पीएसबी: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक; **ओपीबी:** निजी क्षेत्र के पुराने बैंक; **एनपीबी:** निजी क्षेत्र के नए बैंक;
एफबी: विदेशी बैंक

अनुबंध 2
बैंकिंग प्रणाली में स्लीपेज

(₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष समाप्ति	वर्षा की शुरुआत पर एनपीए	वर्ष के दौरान एनपीए में नई वृद्धि	वर्ष के दौरान एनपीए में कमी	वर्ष के अंत में एनपीए
मार्च-01	60434	19064	15512	63986
मार्च-02	63986	24606	17638	70954
मार्च-03	70954	21556	23729	68781
मार्च-04	68781	24191	28074	64897
मार्च-05	64897	21552	27740	58709
मार्च-06	58709	21471	28981	51199
मार्च-07	51199	26632	27318	50513
मार्च-08	50513	34621	28612	56522
मार्च-09	56522	53133	40362	69293
मार्च-10	69293	65162	49794	84661
मार्च-11	84661	69598	56338	97920
मार्च-12	97920	106740	62606	142054
मार्च-13	142054	136446	85301	193200

अनुबंध 3
बैंक समूहवार स्लीपेज और निवल स्लीपेज अनुपात

(अनुपात)

स्लीपेज अनुपात	सभी बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक
मार्च-01	4.6	4.7	5.5	4.4	3.3
मार्च-02	5.1	4.1	4.9	20.5	2.7
मार्च-03	3.7	3.6	3.8	3.9	3.5
मार्च-04	3.4	3.5	3.2	3.7	2.7
मार्च-05	2.5	2.5	2.2	3.4	1.8
मार्च-06	1.9	2.0	1.8	1.7	1.5
मार्च-07	1.8	1.8	1.8	2.0	1.5
मार्च-08	1.8	1.7	1.4	2.1	2.1
मार्च-09	2.2	1.8	1.9	3.0	5.5
मार्च-10	2.2	2.0	2.2	2.0	5.5
मार्च-11	2.1	2.2	1.7	1.3	2.2
मार्च-12	2.5	2.8	1.5	1.1	2.3
मार्च-13	2.7	3.1	1.8	1.2	1.8
निवल स्लीपेज अनुपात	**सभी बैंक**	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**	**निजी क्षेत्र के पुराने बैंक**	**निजी क्षेत्र के नए बैंक**	**विदेशी बैंक**
मार्च-01	2.2	2.2	3.3	-0.8	3.1
मार्च-02	3.2	2.1	3.4	19.6	1.4
मार्च-03	1.7	1.6	2.2	2.7	1.6
मार्च-04	1.4	1.7	1.4	-0.3	1.2
मार्च-05	0.6	0.4	0.5	1.7	0.3
मार्च-06	0.4	0.3	0.1	0.7	0.9
मार्च-07	0.8	0.6	0.5	1.5	1.0
मार्च-08	0.9	0.7	0.5	1.8	1.6
मार्च-09	1.2	0.7	1.0	2.4	4.7
मार्च-10	1.4	1.2	1.1	1.5	3.9
मार्च-11	1.1	1.2	0.7	0.6	0.6
मार्च-12	1.5	1.8	0.6	0.5	1.5
मार्च-13	1.7	1.9	0.8	0.6	1.1

अनुबंध 4

अवधि के अंत में कमी के प्रतिशत के रूप में बट्टे खाते डालना*

वर्ष	बट्टे खाते डालने के कारण कमी (₹ करोड़ में)	वास्तविक वसूली के कारण	अवधि के अंत में % के रूप में बट्टे खाते डालना (1/(1+2))
मार्च-01	6,446	7,894	45.0
मार्च-02	8,711	6,813	56.1
मार्च-03	12,021	7,916	60.3
मार्च-04	13,559	11,064	55.1
मार्च-05	10,823	12,710	46.0
मार्च-06	11,657	12,926	47.4
मार्च-07	11,621	11,725	49.8
मार्च-08	11,653	11,971	49.3
मार्च-09	15,996	14,755	52.0
मार्च-10	25,019	14,148	63.9
मार्च-11	23,896	18,818	55.9
मार्च-12	20,892	21,850	48.9
मार्च-13	32,218	24,882	56.4

* अवधि के अंत में कमी : बट्टे खाते खोलने के कारण कमी + केवल वास्तविक कमी

अनुबंध 5

सकल अग्रिमों में बैंक समूह वार हिस्सा

	सभी बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक	
	सकल अग्रिम (₹ करोड़)	सकल अग्रिम (₹ करोड़)	सकल अग्रिमों की तुलना में % (2/1)	सकल अग्रिम (₹ करोड़)	सकल अग्रिमों की तुलना में % (4/1)	सकल अग्रिम (₹ करोड़)	सकल अग्रिमों की तुलना में % (6/1)	सकल अग्रिम (₹ करोड़)	सकल अग्रिमों की तुलना में % (8/1)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
मार्च-02	680,925	509,368	74.8	41,738	6.1	79,201	11.6	50,618	7.4
मार्च-03	780,492	577,813	74.0	48,611	6.2	99,887	12.8	54,182	6.9
मार्च-04	902,026	661,975	73.4	57,908	6.4	119,511	13.3	62,632	6.9
मार्च-05	1,188,674	885,659	74.5	70,412	5.9	155,577	13.1	77,026	6.5
मार्च-06	1,550,826	1,134,173	73.1	85,154	5.5	232,536	15.0	98,964	6.4
मार्च-07	2,013,357	1,465,341	72.8	94,872	4.7	325,273	16.2	127,871	6.4
मार्च-08	2,508,239	1,819,428	72.5	113,404	4.5	412,441	16.4	162,966	6.5
मार्च-09	3,038,025	2,283,265	75.2	130,334	4.3	454,713	15.0	169,713	5.6
मार्च-10	3,545,534	2,733,993	77.1	156,392	4.4	487,713	13.8	167,437	4.7
मार्च-11	4,358,191	3,347,093	76.8	187,296	4.3	624,484	14.3	199,318	4.6
मार्च-12	5,159,649	3,943,503	76.4	232,918	4.5	748,500	14.5	234,727	4.6
मार्च-13	5,989,182	4,561,072	76.2	273,120	4.6	886,023	14.8	268,967	4.5

अनुबंध 5 *(जारी.)*

जीएनपीए में बैंक समूह वार हिस्सा

	सभी बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक	
	जीएनपीए (₹ करोड़)	जीएनपीए (₹ करोड़)	जीएनपीए की तुलना में % (2/1)	जीएनपीए (₹ करोड़)	जीएनपीए की तुलना में % (4/1)	जीएनपीए (₹ करोड़)	जीएनपीए की तुलना में % (6/1)	जीएनपीए (₹ करोड़)	जीएनपीए की तुलना में % (8/1)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
मार्च-02	70,954	56,507	79.6	4,635	6.5	7,032	9.9	2,780	3.9
मार्च-03	68,781	54,089	75.4	4,308	6.2	7,490	14.2	2,894	4.2
मार्च-04	64,897	51,541	79.4	4,392	6.8	5,951	9.2	3,013	4.6
मार्च-05	58,709	47,622	81.1	4,201	7.2	4,566	7.8	2,321	4.0
मार्च-06	51,199	41,371	80.8	3,740	7.3	4,032	7.9	2,057	4.0
मार्च-07	50,513	38,855	76.6	2,969	5.9	6,271	12.5	2,419	4.9
मार्च-08	56,522	40,457	71.1	2,557	4.6	10,428	18.7	3,080	5.6
मार्च-09	69,293	45,028	64.5	3,072	4.5	13,900	20.3	7,293	10.7
मार्च-10	84,661	59,927	70.8	3,622	4.3	13,985	16.5	7,126	8.4
मार्च-11	97,920	74,668	76.3	3,695	3.8	14,495	14.8	5,061	5.2
मार्च-12	142,054	117,269	82.6	4,200	3.0	14,297	10.1	6,288	4.4
मार्च-13	193,200	164,468	84.8	5,210	2.8	15,552	8.0	7,970	4.3

पुनर्संरचित मानक आस्तियों (आरएसए) में बैंक समूहवार हिस्सा

	सभी बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक	
	आरएसए (₹ करोड़)	आरएसए (₹ करोड़)	आरएसए की तुलना में % (2/1)	आरएसए (₹ करोड़)	आरएसए की तुलना में % (4/1)	आरएसए (₹ करोड़)	आरएसए की तुलना में % (6/1)	आरएसए (₹ करोड़)	आरएसए की तुलना में % (8/1)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
मार्च-02	9,820	4,212	42.9	765	7.8	4,839	49.3	4	0.1
मार्च-03	18,226	7,363	40.4	1,296	7.1	9,488	52.1	79	0.4
मार्च-04	17,774	9,276	52.2	1,405	7.9	6,953	39.1	140	0.8
मार्च-05	25,304	18,111	71.6	1,123	4.4	6,025	23.8	45	0.2
मार्च-06	17,872	11,893	66.5	660	3.7	5,219	29.2	100	0.6
मार्च-07	20,090	14,658	73.0	716	3.6	4,697	23.4	19	0.1
मार्च-08	26,642	19,739	74.1	1,358	5.1	5,528	20.8	18	0.1
मार्च-09	75,199	62,351	82.9	4,219	5.6	7,427	9.9	1,203	1.6
मार्च-10	139,488	126,224	90.5	5,548	4.0	6,941	5.0	773	0.6
मार्च-11	139,168	129,810	93.3	5,439	3.9	3,465	2.5	454	0.3
मार्च-12	218,963	203,637	93.0	8,253	3.8	6,837	3.1	236	0.1
मार्च-13	313,003	292,410	93.4	10,917	3.5	9,258	3.0	418	0.1

अनुबंध 6
हानिग्रस्त आस्तियों की स्थिति

(प्रतिशत)

		मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13
सभी बैंक	जीएनपीए	2.5	2.5	2.4	2.9	3.4
	शेष मानक अग्रिम/कुल सकल अग्रिम	3.2	4.3	3.5	4.7	5.8
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम + सह डब्ल्यूओ)	7.7	9.2	8.1	9.8	11.6
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम)/सकल अग्रिम	5.7	6.8	5.8	7.6	9.2
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	जीएनपीए	2.1	2.3	2.3	3.2	3.8
	शेष मानक अग्रिम/कुल सकल अग्रिम	3.6	5.1	4.2	5.7	7.2
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम + सह डब्ल्यूओ)	8.0	9.5	8.7	11.0	13.4
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम)/सकल अग्रिम	5.7	7.4	6.6	8.9	11.0
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	जीएनपीए	2.4	2.2	2.0	1.8	1.9
	शेष मानक अग्रिम/कुल सकल अग्रिम	3.3	3.7	2.9	3.5	4.0
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम + सह डब्ल्यूओ)	6.9	7.3	6.1	6.4	6.8
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम)/सकल अग्रिम	5.6	5.9	4.9	5.3	5.9
निजी क्षेत्र के नए बैंक	जीएनपीए	3.6	3.2	2.6	2.2	1.9
	शेष मानक अग्रिम/कुल सकल अग्रिम	1.9	1.6	0.6	1.1	1.2
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम + सह डब्ल्यूओ)	6.6	7.3	5.5	5.4	5.4
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम)/सकल अग्रिम	5.5	4.8	3.3	3.2	3.1
विदेशी बैंक	जीएनपीए	4.3	4.3	2.5	2.7	3.0
	शेष मानक अग्रिम/कुल सकल अग्रिम	0.7	0.5	0.2	0.1	0.2
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम + सह डब्ल्यूओ)	7.0	9.6	7.3	6.7	6.4
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम)/सकल अग्रिम	5.0	4.7	2.8	2.8	3.1

अनुबंध 7
खण्ड वार हानिग्रस्त आस्ति अनुपात[3]

(प्रतिशत)

कृषि	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13	उद्योग	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13
सभी बैंक	5.4	5.7	6.6	7.6	8.2	सभी बैंक	10.2	11.8	10.0	12.5	16.0
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	6.0	6.3	7.3	8.6	9.2	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	11.0	12.9	11.3	14.3	18.4
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3.6	3.2	3.5	4.0	4.2	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	10.5	12.2	9.5	10.9	12.4
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.7	3.3	3.2	2.6	2.6	निजी क्षेत्र के नए बैंक	8.6	7.3	4.1	5.0	5.9
विदेशी बैंक	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	विदेशी बैंक	3.3	3.6	2.8	3.5	4.1
सेवाएं	**मार्च-09**	**मार्च-10**	**मार्च-11**	**मार्च-12**	**मार्च-13**	**खुदरा**	**मार्च-09**	**मार्च-10**	**मार्च-11**	**मार्च-12**	**मार्च-13**
सभी बैंक	4.6	5.6	5.1	8.1	10.0	सभी बैंक	7.0	8.2	6.9	6.3	5.5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	5.0	6.2	5.9	9.6	11.9	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	5.7	5.3	4.5	4.6	4.1
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	5.5	6.1	5.4	6.1	6.6	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3.6	3.9	3.0	2.2	1.9
निजी क्षेत्र के नए बैंक	3.6	3.4	2.3	3.0	3.1	निजी क्षेत्र के नए बैंक	8.0	11.5	10.5	9.1	7.7
विदेशी बैंक	2.7	2.8	2.5	3.0	3.0	विदेशी बैंक	13.0	23.7	22.4	19.3	16.7

अन्य	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13
सभी बैंक	8.2	12.9	13.0	12.6	9.2
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	8.1	14.0	14.7	14.8	11.8
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	7.9	6.9	6.2	5.7	3.4
निजी क्षेत्र के नए बैंक	9.1	4.8	3.6	3.0	3.3
विदेशी बैंक	22.4	14.9	8.8	3.5	2.6

[3] (जीएनपी + शेष मानक अग्रिम + ह डब्लू/ओ)/(सकल अग्रिम + सह डब्लू/ओ)

अनुबंध 8
पुनर्संरचित मानक आस्तियों में खण्ड वार हिस्सा

(प्रतिशत)

	2009	2010	2011	2012	2013
कृषि	4.5	4.4	4.9	3.6	2.9
उद्योग	66.6	67.4	66.8	68.8	78.0
जिसमें से: अति लघु	2.0	1.3	1.1	0.9	0.6
लघु	5.6	4.6	4.7	2.2	1.7
मझौले	9.0	6.2	6.8	4.0	3.6
बड़े	49.9	55.4	54.2	61.7	72.1
सेवाएं	9.4	10.0	11.9	18.5	16.5
जिसमें से : अति लघु	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4
लघु	2.1	1.2	1.4	0.8	0.7
मझौले	1.9	1.2	1.5	0.9	1.6
बड़े	5.2	7.0	8.6	16.4	13.7
खुदरा	6.2	3.4	3.0	1.7	0.9
अन्य	13.3	14.9	13.4	7.4	1.7

टिप्पणी : जब तक कि अन्यत्र न कहा जाए ये आंकड़े घरेलू परिचालन के हैं।